वर्ष-10 अंक-1 जनवरी 2021 मूल्य 15

लोक जागृति

पत्रिका

कानूनी मुद्दों पर मुखर बातचीत एवं सामाजिक जन जागरण का मासिक प्रकाशन

जब सब कुछ थम गया

Suresh Pandey 9810514888

INDIAN/FOREIGN BOOKS,JOURNALS

NEW/OLDLAW BOOKS

BACK VOLUMES & SUBSCRIPTIONS SUPPLIES

SK

SK ACADEMY PUBLISHING PVT. LTD.

E-252/4 West Vinod Nagar, Delhi-110092

mail- suresh66pandey@gmail.com, pandeysureshk@gmail.com

लोक जागृति की 20 सूत्रीय मांग

1– बेरोजगार को रोजगार प्रदान कराना।
2– सभी को उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान कराना।
3– आरक्षण का आधार आर्थिक हो।
4– पुलिस व्यवस्था में सुधार हो।
5– अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य एवं योग्यता का प्रत्येक दस वर्ष में उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन होना चाहिए।
6– एक निश्चित समय में न्याय निर्णय की व्यवस्था करना।
7– भारतीय न्यायालयों में भारतीय भाषा में कार्य करने की स्वतंत्रता हो।
8– शिक्षण संस्थान एवं चिकित्सा व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण हो।
9– सांसद व विधानसभा में पार्टी व्यवस्था समाप्त कर लोकहित में काम करना।
10–सामाजिक सोशल आडिट की व्यवस्था करना।
11–लाभ के पद पर बैठे लोगों की सब्सिडी बंद करना।
12–बड़े नोट 2000 रुपए के नोटों का चलन बंद होना।
13–हर वस्तुओं एव सेवाओं की लागत अंकेक्षण कराना और वस्तुओ के पैकेट पर लागत मूल्य लिखना।
14–भारतीय दण्ड संहिता में सुधार झूठे केस दर्ज कराने एवं करने पर कार्यवाही करना या कुछ दण्डात्मक कार्यवाही ।
15–समान शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करना।
16–देश के प्राकृतिक संसाधनो पर सरकार का अधिकार होना चाहिए।
17–सीलिंग लिमिट जैसे कृषि भूमि पर उसी तरह शहरी क्षेत्र में भी होनी चाहिए।
18–कराधान एवं लाइसेंसी प्रक्रिया को सरल एवं स्पष्ट करना। लाल फीता शाही खत्म करना।
19–गरीबों की सही पहचान और लोगों को रोजगार परक बनाना एव स्वावलम्बी बनाने का कार्यक्रम बनाना।
20–टोल टैक्स समाप्त करना।

अंदर के पृष्ठों पर...

1 किसान आंदोलन : क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकल सकता है हल? पेज–8

2 महिलाओं के प्रति समाज की मानसिकता को दर्शाती हैं रेप की घटनाएं पेज–10

3 सरकारी गवाह बनकर भी सजा से नहीं बच सकते नीरव मोदी के बहन–बहनोई पेज–12

4 मोदी सरकार संसद भवन की नई इमारत को लेकर उतावली क्यों? पेज – 14

5 बीमा कंपनी वाहन मालिक के बीमा दावे को केवल इस आधार पर नकार नहीं सकती कि चालक के पास फर्जी लाइसेंस था पेज–16

6 केंद्रीय और राज्य कानूनों के वैधानिक एक्ट के तहत सिक्योर्ड लेनदारों के दावों पर पूर्ववर्ती स्थिति ले सकते हैं पेज–18

7 धारा 215 : आरोप में गलतियों के कारण उत्पन्न होने वाले दुष्परिणाम के निवारण हेतु उपबंध हैं पेज–20

8 न्यायपालिका से विधायिका की ओर कूच कितना सही पेज–22

9 पश्चिम बंगाल : क्या ममता अपने राजनीतिक करियर के सबसे मुश्किल दौर में हैं? पेज–24

'पौरुषपुर', महिलाओं को समझा जाता है बिस्तर का खिलौना पेज–29

याद रखा जाएगा साल 2020

सुरेश पांडेय

साल 2020 खत्म हो गया। बीते साल को 'कोरोना साल' कहना गलत नहीं होगा क्योंकि पूरे साल कई चीजें बदलीं लेकिन नहीं बदली तो महामारी की परिस्थिति। यहां तक कि साल खत्म होते होते ब्रिटेन में कोरोनावायरस का नया प्रकार सामने आ गया। भारत की बात करें तो यहां पर भी कोविड–19 और इसका प्रकोप पूरे साल छाए रहे लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी घटनाएं हुईं, जिनके लिए साल 2020 को याद रखा जाएगा। आइए डालते हैं एक नजर गुजरे साल के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर...।

नागरिकता संशोधन कानून का विरोध : नरेंद्र मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) बनाया था. इस कानून के पास होने के कुछ दिनों बाद इस पर बवाल शुरू हुआ. महीनों तक इस बवाल का असर दिखा. साल 2020 की शुरुआत होते–होते दिल्ली के शाहीन बाग समेत कई इलाकों में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन होने लगे. शाहीन बाग तो सीएए और एनआरसी के विरोध का एक एक मॉडल बन गया, जिसकी फ्रंट पर अगुवाई स्थानीय युवा और बुजुर्ग महिलाओं के हाथों में थी. इन प्रदर्शनकारियों में जो नाम सबसे ज्यादा उभरकर सामने आया वह है बिल्किस बानो, जिन्हें टाइम मैगजीन ने सितंबर 2020 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में जगह दी।

ट्रम्प की भारत यात्रा : दिल्ली जिस वक्त दंगा की आग में झुलस रही थी, उसी समय फरवरी माह में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत दौरे पर आए. उनके साथ पत्नी मेलानिया ट्रम, बेटी इवांका ट्रम्प व अमेरिकी सरकार के कई बड़े अधिकारी भी भारत आए. उनके स्वागत में अहमदाबाद के शानदार मोटेरा स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसे 'नमस्ते ट्रंप' का नाम दिया गया।

दिल्ली में भड़के दंगे : नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में भड़की हिंसा फरवरी महीने के आखिर तक दंगों में तब्दील हो गई. उत्तर–पश्चिमी दिल्ली में कानून के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ गए. दिल्ली दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हुए. कई दिनों तक उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा रहा।

कोरोना का कहर : भारत में कोरोना संक्रमण का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को केरल के त्रिशूर जिले में सामने आया. इसके बाद फरवरी की शुरुआत में वायरस का दूसरा और तीसरा केस सामने आया. फिर मार्च से महामारी ने भारत में रफ्तार पकड़नी शुरू की और एक के बाद एक लाखों लोग कोविड19 की चपेट में आ गए. देशभर में वायरस से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर क्वारंटीन सेंटर बनाए जाने लगे, हॉस्पिटल्स में बेड की संख्या बढ़ाई गई, विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाया गया, टेस्टिंग की स्पीड बढ़ाई गई और भी अनेक तैयारियों के साथ देश के डॉक्टर, नर्स समेत तमाम हेल्थकेयर वर्कर्स, सफाई कर्मचारियों, जरूरी सेवा से जुड़े लोगों ने कोरोना के खिलाफ जंग में अपना 100 फीसदी योगदान देने के लिए कमर कस ली। शुरू में टेस्टिंग किट नहीं थे, आज 10 लाख के करीब रोज यहीं बन रहे हैं. शुरू में पीपीई किट और N95 मास्क की किल्लत थी, आज यह बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं और निर्यात की स्थिति बनने का दावा किया जा रहा है।

'निर्भया' के दोषियों को सजा : 2012 दिल्ली गैंगरेप और मर्डर केस में 20 मार्च की सुबह इंसाफ की सुबह बनी. इस मामले में सभी 4 दोषियो को 20 मार्च सुबह 5:30 बजे फांसी दे दी गई. तिहाड़ जेल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, जब एक ही अपराध में 4 दोषियों को एक ही साथ फांसी हुई हो. 2012 दिल्ली गैंगरेप और मर्डर केस में 7 साल बाद पीड़ित को इंसाफ मिला और लंबी कानूनी लड़ाई फांसी के कुछ घंटों पहले तक चलती रही।

लॉकडाउन : कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 मार्च को रात 8 बजे 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की. इस दौरान आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर बाकी सबके घर से निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी

लोक जागृति पत्रिका
जनवरी 2021 वर्ष 10 अंक 1

संरक्षक
पं. दयानंद शुक्ला
कपिल सिंघल
ए.जी. अग्रवाल

संपादक
संतोष कुमार मिश्रा (एडवोकेट)

वित्त सलाहकार एवं सह सम्पादक
नीरज बंसल

समाचार संपादक
आलोक सोलंकी
बृजमोहन

संपादकीय सहयोगी
सुरेश पाण्डेय
अभिरुप कुमार
विजय बहादुर सिंह
तेज सिंह यादव (एडवोकेट)
नरेन्द्र कुमार सक्सेना
गिरीश त्रिपाठी
एस.बी.एस. गौतम
सत्येंद्र श्रीवास्तव
अश्विनी मिश्रा (एडवोकेट)
राहुल मिश्र
जगजीत सिंह
कृष्ण कुमार पाण्डेय (एडवोकेट)
राजेश कुमार मिश्र
तरुण गुप्ता (एडवोकेट)
शोभा चौधरी
अनिल कुमार शुक्ला
रजनीश कुमार पाण्डेय
धीरज पाण्डेय
प्रमोद उपाध्याय (एडवोकेट)

मार्केटिंग
संजय मिश्रा

कानूनी सलाहकार
अभिषेक शर्मा

साज सज्जा
A.N.R. Creation
7827449997

मुद्रक प्रकाशक एवं संपादक
संतोष कुमार मिश्रा
द्वारा आदर्श प्रिंटिंग हाउस बी 32 महिंद्रा इंक्लेव शास्त्री नगर गाजियाबाद से मुद्रित एवं 3ए 341 वैशाली, गाजियाबाद से प्रकाशित ।

इस पत्रिका में छपे किसी भी लेख से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है । किसी भी विवाद के निराकरण के लिए गाजियाबाद न्यायालय पूर्ण क्षेत्राधिकार व निर्णय मान्य होगा ।

RNI NO.
UPHIN/2011/39809

सम्पादकीय

नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ सभी देशवासियों और लोक जागृति पत्रिका के सुधि पाठकों को बहुत सारी बधाई। जिस तरह से 2020 की शुरुआत हुई थी समाप्ति भी उससे भी खराब हो रही है। शुरुआत–धरना–प्रदर्शन, दंगा से हुई थी, अंत भी किसान आंदोलन के साथ, एवं कोरोना से हो रही है। सन् 2020 लोगों के लिए काफी कष्टदायक रहा और विशेष कर प्रवासी मजदूरों की हालत बहुत ही दयनीय एवं दुखद रही है।

नया वर्ष 2021 भी किसान आंदोलन के साथ शुरु हो रहा है। तीन किसान बिल आए हैं यह सही भी हो सकता है जिस तरह से जब भारत में कम्प्यूटर आया था तो राजीव गांधी का विरोध हो रहा था कुछ नेता संसद में विरोध के लिए बैलगाड़ी तक लेकर पहुंच गए थे। विरोध स्वररुप आधार कार्ड, का विरोध हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही किया था, लेकिन आज कल उसी आधार के आधार पर एवं कंप्यूटर से एक क्लिक पर करोड़ों लोगों के खाते में करोड़ों रुपए डाले जा सकते हैं सम्भव हुआ है। इसी तरह से कृषि बिल का विरोध भी भविष्य में लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है लेकिन कृषि बिल में जिस तरह से भंडारण यानी (जमाखोरी) को कानूनी मान्यता दी गई है वह घातक हो सकता है। दूसरा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य के लिए एमएसपी (msp)पर खरीद। सरकार एमएसपी पर खरीद की बात तो कर रही है लेकिन यह नहीं कह रही है जो भी व्यापारी एमएसपी से कम पर खरीदेगा उससे दंडित किया जाएगा और कितना। जैसे सरकार जमीन का एक सरकारी रेट अधिकृत करती है। स्टाम्प ड्यूटी उसी पर लगेंगी कम पर नहीं हो सकती। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है वह एमएसी और भंडारण को लेकर है। जिस तरह से रियल स्टेट में प्राइवेट बिल्डर को खुली छूट दी गई और उन्होंने कितनी लूट की। इसका जीता जागता उदाहरण आम्रपाली, यूनिटेक इत्यादि रहे लोगों ने अपनी जीवन भर की पूंजी गंवा दी और अब सिर्फ अश्वासनों के भरोसे जिंदा हैं। हां कुछ बिल्डरों ने अच्छा काम किया लेकिन तब भी जनता को उसका उतना फायदा नहीं हुआ, जिस दर पर जमीन खरीदी उससे ज्यादा दर पर बहुमंजिला फ्लैट बनाकर बेचा है।

जो काम सरकार का होता है वह काम यदि प्राइवेट को दिया जाता है तो इसका खमियाजा जनता को ही भोगन पड़ेगा। जिस तरह से हास्पिटल, स्कूलों की लूट और शोषण की कहानियां सुनने को मिलती है वह इसीलिए सम्भव हो पाता है कि सरकारें ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं। इसमें पहले की सरकार और वर्तमान दोनों शामिल है। सभी बातों पर चर्चा करने के साथ मीडिया की भी चर्चा हो जानी चाहिए, मीडिया पहले भी और अब भी सरकार और पूंजीपतियों की कठपुतली रहा है क्योंकि सत्ता सुख सभी को चाहिए लेकि इधर दो तीन वर्षों में जिस तरह से और एक पत्रकार के व्हाट्सऐप चैट लीक से मामला सामने आया है वह और भी भयावह है। निष्पक्ष पत्रकारिता अब बहुत कठिन काम हो गया है क्योंकि इस समय दो ही परिभाषा है देशद्रोही या देशप्रेमी। लेकिन इस की आड़ में लोग अपनी गोटियां सेक रहे हैं, मीडिया के पास इतना धन कहां से आया एक पत्रकार इतना धनी कहां से हो गया इस बारे में मीडिया में चर्चा नहीं की जाती। लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ मा। जाता है लेकिन विश्व में लोकतंत्र का मसीहा ही लोकतंत्र को खत्म करने पर तुला हुआ है। ज्यादातर महाशक्ति लोकतंत्र को कम करने की ओर अग्रसर हे चीन, रुस इत्यादि।

कर्ज देना ही पाप करना है

गई. पहली बार पूरे देश में एक साथ ट्रेन और हवाई यातायात यात्रियों की आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद कर दी गई. इसके बाद एक के बाद एक कई लॉकडाउन की घोषणा की गई और हर बार नई रियायतों के साथ इसकी अवधि बढ़ाई गई. 8 जून के बाद केंद्र सरकार ने धीरे–धीरे अनलॉक शुरू किया. लेकिन लॉकडाउन ने देश की हर आर्थिक गतिविधि को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया।

पहली बार थमी भारतीय रेल : कोविड19 के चलते 166 सालों में पहली बार ऐसा हुआ, जब भारतीय रेल के पहिये थमे. जो सेवा कभी युद्धकाल में भी बंद नहीं हुई, उसे कोविड के चलते बंद करना पड़ा. हालांकि इस दौरान ट्रेन से माल की आवाजाही चालू रही, केवल यात्री ट्रेनें बंद हुईं. मई माह से पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेनों और बाद में स्पेशल ट्रेनों के रूप में भारतीय रेल ने फिर से दौड़ना शुरू किया।

प्रवासी मजदूरों का पैदल पलायन : लॉकडाउन में एक वक्त के बाद यहां–वहां फंस गए प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने गांवों की ओर निकल पड़े. बड़े शहर में रहने खाने का पुख्ता इंतजाम न हो पाने के चलते प्रवासी मजदूरों ने यह कदम उठाया. घर लौटने का अन्य कोई साधन उपलब्ध न होने पर वे पैदल ही निकल पड़े और हजारों किलोमीटर की लंबी दूरी भी उनके फैसले को नहीं बदल पाई. इस दौरान कुछ की रास्ते में मौत भी हो गई. पूरे अप्रैल तक यह सिलसिला चलता रहा. 1 मई को मजदूर दिवस के दिन से भारतीय रेलवे ने ऐसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक छोड़ने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम शुरू किया. 12 मई से कुछ और स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं।

लोन मोरेटोरियम : लॉकडाउन के दौरान कई लोगों की नौकरियां चली गईं, कई उद्योग–धंधे ठप पड़ गए. ऐसे में कई ऐसे लोग जो बैंकों से लोन लिए हुए थे, उनके सामने वक्त से ईएमआई कैसे भरी जाए यह चिंता पैदा हो गई. इस चिंता से राहत देने के लिए आरबीआई ने मार्च माह में लोन मोरेटोरियम का विकल्प उपलब्ध कराया. इसके कर्जधारक तीन माह के लिए अपनी ईएमआई टाल सकते थे लेकिन इस दौरान उन्हें ब्याज से छूट नहीं थी. पहले लोन मोरेटोरियम मार्च आखिर तक था लेनिक बाद में इसे 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया।

मध्य प्रदेश और राजस्थान की सियासी गर्मागर्मी : इस साल मार्च में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर दी और बीजेपी में आ गए. उनकी बगावत से मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार संकट में आ गई और आखिरकार गिर गई. इसके बाद बीजेपी सरकार राज्य की सत्ता में आई और शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन गए. वहीं जुलाई में राजस्थान में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच तनातनी सामने आई. पायलट ने उपमुख्यमंत्री का पद छोड़ा और ऐसे हालात पैदा हुए कि गहलोत सरकार संकट में आ गई. बाद में केंद्रीय नेतृत्व के दखल के बाद यह संकट फिलहाल टला हुआ है और गहलोत सरकार अभी सत्ता में बनी हुई है।

सिनेमा जगत की कई हस्तियों का निधन : साल 2020 सिनेमा जगत की हस्तियों के लिए मौत का साल बनकर आया. बॉलीवुड के अलावा क्षेत्रीय सिनेमा की भी कई नाम. चीन हस्तियों की मौत इस साल में हुई. कुछ की जान कोरोनावायरस ने ली तो कुछ ने हालात से तंग आकर खुद ही मौत को गले लगा लिया. 2020 में भारत ने जिन नामचीन हस्तियों को खोया, उनमें अभिनेता इरफान खान, ऋषि कपूर, सुशांत सिंह राजपूत, म्यूजीशियन व सिंगर एसपी बाला. सुब्रमण्यम, कोरियोग्राफर सरोज खान, मशहूर बांग्ला अभिनेता सौमित्र चटर्जी, कॉमेडियन जगदीप, म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान, गीतकार व शायर राहत इंदौरी आदि शामिल हैं।

अम्फान का कहर और टिड्डियों का आतंक : कोरोना से जूझ रहे देश को मई माह में बंगाल की खाड़ी में आए अम्फान तूफान ने झकझोर कर रख दिया. इस दौरान देश के पूर्वी हिस्से पश्चिम बंगाल को काफी नुकसान हुआ. अम्फान तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में 13.9 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था. करीब 30 हजार घर ढह गए, जबकि 88 हजार हेक्टेयर में खड़ी फसल तबाह हो गई. कई लोगों की जान भी इस साइक्लोन से गई. वहीं देश के उत्तरी इलाकों ने टिड्डियों के आंतक का सामना किया. टिड्डियों के इन दलों ने राजस्थान, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद कर दी।

बॉलीवुड और ड्रग्स : बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जून महीने में अपने फ्लैट में मृत पाए गए. उनकी मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन के मामले ने तूल पकड़ा और एक के बाद एक कई हस्तियों पर शिकजा कसा गया. सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स मामले में छब्ठ ने कुछ दिनों तक हिरासत में भी रखा. बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों से पूछताछ भी हुई. कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया भी ड्रग्स लेने और रखने के मामले में छब्ठ के हत्थे चढ़े।

राजनीति के कई दिग्गजों ने कहा अलविदा : राजनीति के कई दिग्गजों को साल 2020 ने भारत से छीन लिया. पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के संस्थापक और केन्द्र सरकार में उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम. विलास पासवान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल, पूर्व केंद्रीय

मंत्री जसवंत सिंह, दिग्गज नेता अमर सिंह, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और बिहार के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का इस साल निधन हो गया।

देश को मिला राफेल : जुलाई 2020 में राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप भारत पहुंची और अंबाला एयरबेस पर उतरी. इसके बाद नवंबर माह में राफेल फाइटर जेट की दूसरी खेप गुजरात में जामनगर एयरबेस पहुंची. अब बेड़े में कुल एयरक्राफ्ट की संख्या आठ हो गई है. यह भारत के फ्रांस के साथ समझौते के करीब चार साल बाद था जिसमें 59,000 करोड़ रुपये की कीमत पर 36 एयरक्राफ्ट को खरीदना शामिल है।

40 साल के लो पर आई इकोनॉमी : लॉकडाउन से प्रभावित हुई आर्थिक गति. विधियों का नतीजा यह रहा कि साल 2020 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी खराब साल साबित हुआ. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल–जून) में देश की जीडीपी में 23.9 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई और इकोनॉमी 40 साल के लो पर आ गई. हाल ही में दूसरी तिमाही (जुलाई–सितंबर) के जीडीपी आंकड़े जारी हुए, जिनमें अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधरी है. जुलाई–सितंबर तिमाही में जीडीपी में 7.5 फीसदी की गिरावट देखी गई।

गलवान में भारत–चीन झड़प : पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच लंबे समय से सैन्य गतिरोध चल रहा है. विवाद पैदा करने के लिए चीन ने गलवान घाटी में सैन्य तैनाती बढ़ाई, जवाब में भारत ने भी सैनिकों का जमावड़ा मजबूत कर दिया. 15–16 जून की दरमियानी रात गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 जवानों की जान चली गई. चीन को भी जान–माल का खासा नुकसान हुआ। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए कई दौर की बातचीत के बावजूद कोई ठोस हल नहीं निकल सका है।

कई चीनी ऐप्स पर बैन : गलवान घाटी में भारत–चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद भारत सरकार ने जून में देश में 59 मोबाइल ऐप्स को बैन किया. इस लिस्ट में ज्पा ज्वा समेत कई चाइनीज ऐप शामिल रहे. कहा गया कि ये ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं. इसके बाद सितंबर में सरकार ने और 118 मोबाइल ऐप्लीकेशन पर बैन लगा दिया।

राम मंदिर भूमि पूजन : लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अयोध्या में भव्य राम मंदिर का रास्ता तैयार किया और इस साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कर मंदिर की आधारशिला रखी. भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है. मंदिर का निर्माण भारत की प्राचीन निर्माण पद्धति से किया जा रहा है ताकि आने वाले कई सालों तक भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं का इस पर कोई असर न हो।

किसान आंदोलन : केंद्र सरकार सितंबर महीने में 3 नए कृषि विधेयक लाई, जो संसद की मंजूरी और राष्ट्रपति की मुहर के बाद कानून बने. लेकिन किसानों को ये कानून रास नहीं आ रहे हैं. उनका कहना है कि ये कानून किसान विरोधी हैं और कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने वाले हैं. किसानों को इन कानूनों से फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) खत्म हो जाने का डर सता रहा है. पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान इन कृषि कानूनों का लगातार विरोध कर रहे हैं. 26 नवंबर से अनकों किसान दिल्ली–हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केन्द्र सरकार के साथ उनकी कई दौरों की बातचीत अब तक बेनतीजा रही है. किसान इन तीनों कानूनों को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं।

किसान आंदोलन : क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकल सकता है हल?

विजय त्यागी

हाल ही में पारित नए कृषि क़ानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना पिछले तीन हफ़्ते से लगातार जारी है. किसान संगठनों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ताओं का कोई हल नहीं निकल सका है और अब कुछ जनहित याचिकाओं की मदद से यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक में जा पहुंचा है।

याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के 'राइट टू प्रोटेस्ट' के अधिकार को स्वीकार करते हुए कहा कि यह भी देखना होगा कि इससे अन्य लोगों के अधिकारों का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए. सुनवाई के दौरान चीफ़ जस्टिस एसए बोबड़े ने कहा, "किसानों के साथ हमारी सहानुभूति है लेकिन इसका कोई तो हल निकालना ही होगा।"

गुरुवार को सुनवाई शुरू होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि फ़िलहाल वो क़ानून की वैधता नहीं बल्कि आंदोलन के ज़रिए रोकी गई सड़कों और उससे नागरिकों के अधिक. ारों पर होने वाले प्रभाव पर सुनवाई करेगी।

इस मामले में केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे वकीलों ने दलील रखी कि प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली आने वाले रास्तों को बंद कर रखा है, जिससे दूध, फल और सब्ज़ियों के दाम बढ़ गए हैं. मामले की सुनवाई चीफ़ जस्टिस एसए बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की संयुक्त पीठ कर रही है।

मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत होनी चाहिए, विरोध प्रदर्शन को रोकना नहीं चाहिए और संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश ने गतिरोध दूर करने के लिए एक कमेटी के गठन का भी प्रस्ताव दिया जिसमें सभी पक्षों के लोगों के अलावा कृषि विशेषज्ञ भी शामिल हों. हालांकि, इस सुनवाई के दौरान किसानों का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। दरअसल, इस मामले में ना तो किसानों की ओर से और न ही सरकार की ओर से कोई सुप्रीम कोर्ट में गया है बल्कि दो वकीलों के अलावा एक आम आदमी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. बीजेपी के किसान मोर्चा के नेता नरेश सिरोही कहते हैं कि इस मामले में यदि पहले ही किसानों से बातचीत हो जाती तो शायद सुप्रीम कोर्ट को दख़ल न देना पड़ता।

सुप्रीम कोर्ट में मामला भले ही अन्य पक्षों की याचिकाओं के ज़रिए गया है लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह मामला इतना गंभीर हो चुका है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को दख़ल देना पड़ रहा है और दूसरी बात ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इसका कोई हल निकल सकता है?

संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप कहते हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट की एक कोशिश है और यदि इससे कोई हल निकल जाए तो अच्छा ही रहेगा। सुभाष कश्यप कहते हैं, "सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है बल्कि एक कोशिश की है. इसे दख़ल देना भी नहीं कहेंगे क्योंकि कोर्ट ने खुद से संज्ञान नहीं लिया है. किसी क़ानूनी मसले पर कोई फ़ैसला भी नहीं दिया है. बल्कि दोनों पक्षों से अपील की है. इसको मध्यस्थता भी नहीं कहेंगे बल्कि यह कोर्ट की राय है. सुप्रीम कोर्ट में जब अपील की गई तो कोर्ट को कुछ रास्ता बताना ही था. तो इसमें कोई दिक़्क़त नहीं है।"(एजेंसी)

कोरोना : बदला वायरस कितना खतरनाक

एनके सक्सेना

ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट यानी अलग तरह के लग रहे एक वायरस से बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं. इसकी वजह से वहाँ महामारी के बाद से किसी एक दिन में अब तक संक्रमण का सबसे बड़ा आँकड़ा दर्ज किया गया है।

इसके बाद से बहुत सारे देशों ने ब्रिटेन आने–जाने पर पाबंदियाँ लगा दी हैं।

ब्रिटेन में भी अब तक की सबसे सख़्त पाबंदियाँ लगाई गई हैं. ये बदलता वायरस बेहद कम दिनों में इंग्लैंड के कई हिस्सों में सबसे आम हो गया है।

ब्रिटेन सरकार के सलाहकारों को लगता है कि ये वाला वेरिएंट दूसरे वेरिएंट के मुकाबले ज़्यादा संक्रामक हैं।

दरअसल वायरस हमेशा अपना रूप बदलते रहते हैं यानी वो हमेशा म्यूटेट करते रहते हैं इसलिए उसके व्यवहार में आ रहे बदलाव पर वैज्ञानिक पैनी नज़र रखते हैं।

लेकिन अब तक इसके बारे में जो जानकारी मिली है वो कम है, इसे लेकर कई सवाल हैं और कुछ भी फ़िलहाल पुख़्ता नहीं है। तीन बातों की वजह से ये सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. ये तेज़ी से वायरस के दूसरे प्रकारों की जगह ले रहा है। हो सकता है कि वायरस के उन हिस्सों में बदलाव हो रहा है जो महत्वपूर्ण होते हैं कुछ म्यूटेशन्स के साथ लेबोरेटरी में प्रयोग में देखा गया है कि उनकी मानव कोशिका को संक्रमित करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये सभी इस ओर इशारा करते हैं कि ये वेरिएंट पहले से अधिक तेज़ी से फैल सकता है. हालांकि, निश्चित तौर पर अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता.

वायरस का ये नया प्रकार बहुत सामान्य हो जा सकता है कि अगर वो सही समय पर सही जगह पहुंच जाए. लंदन एक उदाहरण माना जा सकता है जहाँ अभी तक बहुत सख़्त प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे। कोविड–19 जीनोमिक्स यूके कंसोर्टियम के प्रोफ़ेसर निक लोमन ने बताया, "लेबोरेटरी टेस्ट की ज़रूरत होती है ये बात सच है लेकिन क्या कोई कदम उठाने से पहले आप हफ्तों या महीनों नतीजों का इंतजार करना चाहते हैं. मुझे नहीं लगता कि इन हालातों में इंतज़ार किया जा सकता है।"

कोरोना के इस नए प्रकार का पता सबसे पहले सितंबर में चला था. नवंबर में लंदन में कोरोना संक्रमण के एक चौथाई मामलों में ये वायरस वजह था.

मगर दिसंबर का मध्य आते–आते दो तिहाई मामलों में संक्रमण की वजह यही वेरिएंट पाया गया। ब्रितानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शनिवार

को कहा था कि वायरस के नए वेरिएंट को लेकर "फिलहाल पुख्ता जानकारी नहीं है" लेकिन ये कोविड–19 बीमारी का कारण बनता है और पहले की अपेक्षा 70 फीसदी अधिक संक्रामक हो सकता है।

कोविड–19 जीनोमिक्स यूके कंसोर्टियम के प्रोफ़ेसर निक लोमन कहते हैं, "हैरानी की बात है कि इस वायरस में बहुत से बदलाव हुए हैं. जितना कि हमने उम्मीद नहीं की थी और कुछ बदलाव दिलचस्प हैं।"

दो ख़ास तरह के बदलाव हैं. दोनों महत्वपूर्ण स्पाइक प्रोटीन में पाए जाते हैं. वायरस स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल हमारे शरीर की कोशिशकाओं को हाइजैक करने के लिए करता है।

ये वो जगह है जहां स्पाइक हमारे शरीर की कोशिशकाओं की सतह से पहला संपर्क बनाता है. अगर कोई बदलाव वायरस को अंदर घुसना ज़्यादा आसान बना देता है तो वो बदलाव अहम है।

प्रोफ़ेसर लोमन कहते हैं, "ये एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई पड़ता है।" डिलिशन, ये इससे पहले भी कई बार पाया गया है. ये संक्रमित ऊदबिलाव जानवर में भी पाया जा चुका है।

चिंता की बात ये थी कि ठीक हुए व्यक्ति के खून में पाई जाने वाली एंटीबॉडी वायरस के इस तरह के प्रकार पर कम असरदार होती थी। इसलिए इसको समझने के लिए और अध्ययनों की ज़रूरत होगी। बर्मिंघम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एलन मैकनली ने कहा, "हम जानते हैं कि ये एक नया प्रकार है. हम जैविक रूप से इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं।"

"इसके असर के बारे में कोई अनुमान लगाना अभी जल्दबाज़ी होगी।" स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन, वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े करता है, क्योंकि तीनों प्रमुख टीके – फाइजर, मॉडर्न और ऑक्सफोर्ड – सभी प्रतिरक्षा प्रणाली को स्पाइक पर हमला करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं।

हालांकि, शरीर स्पाइक के कई हिस्सों पर हमला करना जानता है. यही कारण है कि स्वास्थ्य अधिकारी आश्वस्त हैं कि वैक्सीन इस प्रकार पर काम करेगी। ये वायरस पहले जानवरों में पाया गया, जिसके बाद एक साल पहले ये इंसानों में आ गया।

तब से इसमें हर महीने क़रीब दो बदलाव हो रहे हैं. अगर आज एक सैंपल लिया जाए और उसकी तुलना चीन के वुहान में सबसे पहले मिले सैंपल से की जाए तो पाएंगे कि तब से अब तक क़रीब 25 म्यूटेशन हो चुके हैं।

इंसानों को अपनी चपेट में लेने के लिए कोरोना वायरस अब भी लगातार खुद को बदल रहा है।

लेकिन जल्द ही बड़े पैमाने पर होने जा रहा टीकाकरण वायरस पर एक तरह का दबाव बनाएगा, क्योंकि फिर इम्यून हो चुके लोगों को संक्रमित करने के लिए उसे खुद को बदलना होगा।

अगर वायरस कोई तरीक़ा निकाल लेता है तो हमें लगातार वैक्सीन में भी बदलाव करते रहने होंगे, जैसे हम फ्लू के लिए करते हैं।

महिलाओं के प्रति समाज की मानसिकता को दर्शाती हैं रेप की घटनाएं

संतोष मिश्र

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में अधेड़ महिला के साथ हैवानियत के बाद हत्या की वारदात से एक बार फिर मानवता शर्मसार हो गई। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि इस अधेड़ महिला के साथ वहां हैवानियत हुई जहां वह अपने बीमार पति के स्वास्थ्य और लम्बे जीवन की कामना करने के लिए गई थी। किसी धार्मिक स्थल या उसके परिसर में इस तरह की वारदात का होना यही बताता है कि हैवानों को भगवान से भी डर नहीं लगता है। इतना ही नहीं इस कांड में मंदिर का केयरटेकर भी शामिल था। बदायूं का कृत्य भी हाथरस कांड जैसी तमाम घटनाओं से कम नहीं था। बस फर्क था तो समय और स्थान का। हाथरस की तरह यहां भी पुलिस और प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में जरा भी रूचि नहीं दिखाई। वैसे उक्त दो मामले अपवाद नहीं हैं।

सच्चाई यही है कि बात अपराध की हो या फिर जनता से जुड़ी समस्याओं अथवा विकास कार्यों की, सरकारी अमला हमेशा लापरवाह ही नजर आता है। नौकरशाहों और बड़े जिम्मेदार अधिकारियों के माथे पर तब तक शिकन नहीं आती है, जब तक कि पानी सिर से ऊपर नहीं चला जाता है। मुरादनगर शमशान घाट पर छत गिरने से करीब दो दर्जन मौतों के मामले में भी ऐसा ही देखने को मिला था। यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि करीब–करीब पूरा सरकारी अमला अपनी मनमर्जी से काम करता है। आम जनता शिकायत करती है तो उन शिकायतों की सुनवाई भी यही लोग करते हैं और मामले को रफा–दफा होने में समय नहीं लगता है। सरकारी मशीनरी कैसे काम करती है, इसका पता तो वह ही बता सकता है जो भुक्तभोगी होता है। कहीं पुलिस पीड़ित की सुनवाई नहीं करती है तो कहीं–कहीं तो वह दबंगों के साथ ही खड़ी हो जाती है। पुलिस का जनता से सीधा सरोकार रहता है, इसलिए उसकी खामियां तो जगजाहिर हो जाती हैं, वर्ना करीब–करीब सभी सरकारी विभागों में एक जैसे हालात हैं। अर्दली से लेकर ऊपर तक बैठे अधिकारी मनमानी करते रहते हैं। इसका कारणा है किसी अधिकारी/कर्मचारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं तय है। न ही सजा का कोई खास प्रावधान है जिससे सरकारी नुमाइंदों में भय पैदा हो।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तमाम कोशिशों के बाद भी सरकारी अधिकारीध्कर्मचारी अपना रवैया नहीं बदल रहे हैं तो इसे सिस्टम की चूक कहा जाएगा। पता नहीं ऐसी कौन–सी मजबूरी थी जो बदायूं कांड के लिए जिम्मेदार एसओ को निलंबित भर करके छोड़ दिया गया। वह क्यों नहीं जेल में है। सबसे पहले तो उसी की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी।

बहरहाल, हमेशा की तरह बदायूं कांड को लेकर भी विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर हो गया है। विपक्ष जो सत्ता पक्ष को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। इसमें भले किसी को सियासत नजर आए लेकिन इस हकीकत से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि विपक्ष की सक्रियता के चलते ही कई आपराधिक मामले उजागर हो जाते हैं। वर्ना सरकारी अमला तो ऐसे मामलों को दबाए रखने में महारथ रखता है। बस विपक्ष के विरोध का तरीका नहीं समझ में आता है। ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से पहले अपराध नहीं हुआ करते थे। पहले भी हुआ करते थे, आगे भी होते रहेंगे? यह कड़वी हकीकत है। चाहे कोई कुछ कहे हर जगह पुलिस नजरें जमाए नहीं रह सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जब किसी आपराधिक घटना के होने या होने की संभावनाओं की जानकारी शासन–प्रशासन और पुलिस को लगे तो तब भी वह आंख मूंदे बैठा रहे या घटना स्थल पर जाने से बचता रहे। बस, होना यह चाहिए कि पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिल जाए और अपराधी चाहे जितना रसूख वाला क्यों न हो उसे कोई बचाने की हिमाकत नहीं कर पाए। यह जिम्मेदारी सरकार की होती है कि जब शासन–प्रशासन और पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करने में सफल नहीं होते दिखे तो वह न्यायसंगत कदम उठाते हुए दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। विपक्ष को भी अपनी मान. सिकता बदलनी होगी। उसे हर समय अपनी सियासत चमकाने की बजाए समाज के प्रति भी सजग रहना चाहिए। हमेशा सरकार को घेरने से बचते हुए किसी अपराध के पीछे कौन जिम्मेदार है ? इस पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। घटना के बाद जिस प्रकार से पुलिस की लापरवाही सामने आई है, उससे सरकार की किरकिरी हो रही है।

सपा–बसपा और कांग्रेस समेत कई दलों ने योगी सरकार को निशाने पर ले लिया है, परंतु सभी दलों का आलाकमान योगी को निशाने बनाने तक ही सीमित होकर रह गया है। समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार के दौरान कानून व्यवस्था का क्या हाल था, यह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन आज अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार का कुशासन अपराधियों की ढाल न बने। भाजपा सरकार अपराधियों को बचाने की को. शिश न करे और मृतका व उसके परिवार को पूर्ण न्याय मिले। अखिलेश को लम्बी चौड़ी बातें करने की बजाए यह बताना चाहिए कि बदायूं कांड में योगी सरकार ने क्या चूक करी।

साल 2021 में वर्ल्ड इकॉनमी : कौन से देश जीतेंगे, कौन हारेंगे

बृज मोहन

कोरोना वायरस ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को धराशायी कर दिया है. दूसरे विश्व युद्ध के बाद से साल 2020 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज गिरावट देखने को मिली है.

करोड़ों लोगों की या तो नौकरी चली गई है या फिर कमाई कम हो गई है. सरकारें अर्थव्यवस्थाओं को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए अरबों डॉलर लगा रही हैं. हालांकि साल 2021 में आर्थिक रिकवरी अभी भी बेहद अनिश्चित है. एक शुरुआती अनुमान के मुताबिक, चीन की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ फिर से बढ़ने लगी है।

लेकिन दुनिया के कई अमीर देशों के लिए साल 2022 तक पूरी रिकवरी होने में शायद मुश्किलें आएं. गैर–बराबरी भी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है. 651 अमरीकी अरबपतियों की नेटवर्थ 30 फीसदी बढ़कर 4 लाख करोड़ डॉलर पर पहुंच गई है।

दूसरी ओर, विकासशील देशों में 25 करोड़ लोगों को बेहद गरीबी का सामना करना पड़ सकता है और शायद दुनिया की आधी वर्कफोर्स को अपनी आजी. विका के साधन से हाथ धोना पड़ा है. महामारी को रोकने की रफ्तार का पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन पर गहरा असर होने वाला है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन और वैक्सींस की दौड़ के बीच जल्दी कोई जीत मिलने की कोई गारंटी नहीं है. भले ही अमीर देशों ने ज्यादातर उपलब्ध वैक्सीन हासिल कर ली हैं, लेकिन उनके लिए भी साल 2021 के अंत तक हर्ड इम्युनिटी के लिए पर्याप्त लोगों तक इसे पहुंचा पाना शायद मुमकिन नहीं होगा। विकासशील देशों में वैक्सीन की सप्लाई आमतौर पर कम ही है, ऐसे में इन जगहों पर वायरस के और तेजी से फैलने के आसार हैं। इस मामले में बड़े तौर पर जीतने वाले देशों में चीन और दक्षिण कोरिया हो सकते हैं. ये ऐसे देश हैं जो कि कोविड–19 को शुरुआत में दबाने में सफल रहे हैं. चीन की अर्थव्यवस्था साल 2021 में 8 फीसदी की रफ्तार से बढ़ सकती है।

इस लिहाज से चीन का ग्रोथ रेट महामारी से पहले दुनिया के सबसे सफल पश्चिमी देशों के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा रह सकता है. मोटे तौर पर निर्यात पर टिकी हुई चीन की अर्थव्यवस्था को पश्चिमी देशों में हुए लॉकडाउन का फायदा मिला है. मनो. रंजन और ट्रैवल जैसी सर्विसेज के लिए भले ही पश्चिमी देशों की डिमांड में गिरावट आई है। लेकिन, घर के सामानों और मेडिकल सप्लाई के लिए उनकी मांग में इजाफा हुआ है. साथ ही ट्रंप प्रशासन के लगाए गए ऊंचे टैरिफ के बावजूद अमरीका को चीन से होने वाला निर्यात रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया है. पूरे एशिया में भी चीन अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ा रहा है।

पैसिफिक में एक नए फ्री ट्रेड जोन और यूरोप से लेकर अफ्रीका तक में अपने ट्रेड रूट्स के इर्दगिर्द भारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बूते चीन अपना दबदबा बना रहा है. सेमीकंडक्टरों जैसे कंपोनेंट्स पर पश्चिमी देशों की सप्लाई चेन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए चीन एडवांस टेक्नोलॉजीज पर भी निवेश कर रहा है। अगले पांच साल में चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और वह इस मामले में अमरीका को पीछे छोड़ देगा. यह पहले के अनुमान के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

अमेरिका, ब्रिटेन और कॉन्टिनेंटल यूरोप के अमीर देशों के लिए आउटलुक ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है. साल 2020 की गर्मियों में मामूली रिकवरी के बाद इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं के पहिये फिर से थम गए. कोरोना की दूसरी लहर और लॉकडाउन इसकी वजह रहे हैं। मिसाल के तौर पर अमरीका में नौकरियां और ग्रोथ पर महामारी का गहरा असर रहा है. इसकी वजह से कारोबारी और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नीचे आ गए. अगले साल कुछ रिकवरी होने की उम्मीद के बावजूद 2022 में इन अर्थव्यवस्थाओं के सामान्य स्थितियों के मुकाबले 5 फीसदी सिकुड़ने की आशंका है। हालांकि, इस बात की आशंका है कि 2021 में विकासशील देश सबसे ज्यादा नुकसान उठाएंगे. इन देशों के पास पर्याप्त वैक्सीन खरीदने के लिए वित्तीय संसाधन भी नहीं हैं और इनका पब्लिक हेल्थ सिस्टम भी ऐसा नहीं है कि ये बड़ी तादाद में संक्रमित लोगों का इलाज कर पाएं।

साथ ही ये देश भारी सरकारी सब्सिडी भी नहीं दे सकते जिससे यूरोप और अमरीका की तर्ज पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी को रोका जा सके।

पश्चिमी देशों में मंदी के चलते इन विकासशील देशों के कच्चे माल की मांग खत्म होने और अमीर देशों से इन पर बने मोटे कर्जों में कोई मदद न मिलने के आसार के चलते ये देश लॉकडाउन को और बढ़ाने की हैसियत में भी नहीं हैं। यहां तक कि ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे तेजी से ग्रोथ कर रहे देशों के लिए इन हालातों से निकलना आसान नहीं होगा।

मिसाल के तौर पर, दक्षिण अफ्रीका बेहद गरीब देशों को दी जाने वाली कोवैक्स वैक्सीन के लिए योग्य नहीं है, लेकिन यह कमर्शियल मार्केट से कोई वैक्सीन खरीदने की हैसियत में भी नहीं है. ऐसा तब है जबकि यह पश्चिमी फार्मा कंपनियों के लिए इन वैक्सीन्स को अपने यहां ही बना रहा है। गुजरे वक्त में इन देशों में एक तेजी से बढ़ता हुआ मध्यवर्ग था. अब लाखों–करोड़ों की तादाद में कामकाजी गरीब तबका अपने गांवों और शहरी स्लम्स में वापसी करने को मजबूर हो गया है क्योंकि उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है. इससे भारी तौर पर गरीबी और भूख पैदा हो रही है।

कर्ज वह मेहमान है, जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता

सरकारी गवाह बनकर भी सजा से नहीं बच सकते नीरव मोदी के बहन–बहनोई

लंदन की वेंडजवर्थ जेल में नीरव मोदी की बहन और बहनोई की ओर से सरकारी गवाह बनने की इच्छा जाहिर करने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

मुंबई में जस्टिस वीसी बार्डे की विशेष अदालत के सामने दोनों ने सरकारी गवाह बनने को लेकर आवेदन दिया है। इस आवेदन में नीरव मोदी की बहन पूर्वी मेहता और उनके पति मयंक मेहता ने अदालत से कहा कि वो पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े दो अरब डालर के गबन के मामले में जाँच करने वाले अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मुहैया करा सकते हैं. दोनों ने अदालत के समक्ष क्षमा याचिका दायर करते हुए सरकारी गवाह बनने की इच्छा भी जाहिर की है। पूर्वी मेहता, हीरा कारोबारी नीरव मोदी की छोटी बहन हैं और वो बेल्जियम की नागरिक हैं जबकि उनके पति मयंक के पास ब्रितानी नागरिकता है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस वीसी बार्डे की विशेष अदालत ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि दोनों ने ही क्षमा की प्रार्थना अदालत से की है और वे सरकारी गवाह बनना चाहते हैं।

अदालत ने दोनों को अपने सामने हाजिर होने का भी निर्देश दिया है. लेकिन पूर्वी और मयंक ने अदालत से कहा है कि कोविड–19 के फैल रहे संक्रमण की वजह से वो यात्रा करने की स्थिति में नहीं हैं और वो अदालत की कार्यवाही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़ना चाहते हैं। इससे पहले ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने इस मामले में पूर्वी और और उनके पति को नीरव मोदी के साथ सह–अभियुक्त बनाया था और न्यूयॉर्क और लंदन स्थित उनकी सपत्ति को जब्त भी कर लिया था। वहीं नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर लंदन की अदालत में साल 2019 से मामला चल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक से 14000 करोड़ रुपये के गबन के संबंध में सीबीआई और ईडी ने अलग–अलग मामले दर्ज किए हैं. सीबीआई ने नीरव मोदी के ख़िलाफ जो दो मामले दर्ज किए हैं उनमें पूर्वी और मयंक को अभियुक्त नहीं बनाया गया है। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों को अभियुक्त बनाया है क्योंकि आरोप है कि इन दोनों के जरिये ही नीरव मोदी ने 12000 करोड़ रुपये तक की रकम को ठिकाने लगाने में कामयाबी हासिल की है. मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने जो आरोप पत्र दायर किया उसमें मयंक मेहता को भी अभियुक्त बनाया गया है। (डेस्क)

लोक जागृति (NGO)

लोक जागृति की स्थापना श्री स्वामी नारायण जी की प्रेरणा से की गई है। यह संस्था 80G में रजिस्टर्ड है। जिसका निम्नलिखित उद्देश्य है

- वृद्ध आश्रम की स्थापना करना।
- लोगों को जागृत करने के लिए 'लोक जागृति पत्रिका' का प्रकाशन।
- लोगों में कानूनी जागरुकता फैलाना।
- गरीब, विधवा, अनाथ बच्चों एवं असहाय लोगों की सहायता करना।
- अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरुक करना।
- लोगों को अपने कर्तव्य एवं अधिकारों की जानकारी प्राप्त कराना।
- पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता को प्रोत्साहन देना।
- धार्मिक जागरुकता फैलाना।

यदि आप संस्था से जुड़ना चाहते है तो सम्पर्क करें
95, सेक्टर 3ए, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र.
मोबाइल : 9810960818 ई मेल : lokjagriti@gmail.com

भूल करना मनुष्य का स्वभाव है

क्या भारत के किसान गरीब हो रहे हैं?

किसानों के लगातार जारी आंदोलन के बीच भारत सरकार इस बात पर जोर दे रही हैं कि बदलाव किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। साल 2016 में प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी बीजेपी ने वादा किया था कि 2022 तक वो किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे। लेकिन क्या इस बात का कोई सबूत है कि गांव में रहने वालों कि जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए हैं?

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40 प्रतिशत से अधिक काम करने वाले लोग खेती से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण भारत की घरेलू आय से जुड़े हाल के कोई आंकड़े नहीं है, लेकिव कृषि मजदूरी, जो कि ग्रामीण आय का एक अहम हिस्सा है, उससे जुड़े कुछ आंकड़े मौजूद है. इसके मुताबिक साल 2014 से 2019 के बीच विकास की दर धीमी हुई है।

भारत में महंगाई दर पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2017 में 2.5ः से थोड़ी कम थी जो कि बढ़कर 2019 में लगभग 7.7ः हो गई। इसलिए मजदूरी में मिले लाभ का कोई फयदा नहीं हुआ. ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकॉनॉमिक को—ऑपरेशन एंड डेवलेपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से 2016 के बीच सही मायने में किसानों की आय केवल 2 प्रतिशत बढ़ी है।

इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इनकी आय गैर—किसानी वाले परिवारों का एक तिहाई भर है। कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा का मानना है कि किसानों की इनकम नहीं बढ़ी है, और मुमकिन है कि पहले से ये कम ही हो गई है.

'अगर हम महंगाई को देखें तो महीने के दो हजार रुपये बढ़ जाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।' शर्मा खेती से जुड़े सामानों की बढ़ती कीमतों की ओर भी इशारा करते हैं, और बाजार में उत्पादन के घटते बढ़ते दामों को लेकर भी चिंतित हैं. ये भी बताता जरूरी है कि हाल के सालों में मौसम ने भी कई जगहों पर साथ नहीं दिया. सूखे के कारण किसानों की आय पर बुरा असर पड़ा है।

2017 में एक सरकारी कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि 2015 के मुकाबले 2022 में आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसानों को 10.4 प्रतिशत की दर से बढ़ना होगा। इसके अलावा, ये भी कहा गया था कि सरकार को 6. 39 बिलियन रुपये का निवेश खेती के सेक्टर में करना होगा। 2011—12 में सरकार का कुल निवेश केवल 8.5 प्रतिशत था. 2013—14 में ये बढ़कर 8.6 प्रतिशत हुआ और इसके बाद इसमें गिरावट दर्ज की गई. 2015 से ये निवेश 6 से 7 प्रतिशत भर ही रह गया है।

साल 2016 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्वर एंड रूरल डेवलपमेंट ने एक सरकारी सर्वे में पाया था कि तीन सालों में किसानों का कर्ज करीब दोगुना बढ़ गया था। केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से पिछले कुछ सालों में को. शिश की गई है कि किसानों को सीधे वित्तीय सहायता दी जाए और दूसरे कदम उठाकर भी मदद की जाए, जैसे कि उर्वरक और बीज पर सब्सिडी और कुछ क्रेडिट स्कीम देना। 2019 में केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि 8 करोड़ लोगों की कैश ट्रांसफर से मदद ली जाएगी। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि किसानों को हर साल 6000 रुपये की मदद की जाएगी.

देश के 6 राज्य इससे पहले से ही कैश ट्रांसफर स्कीम चला रहे थे। देवेंद्र शर्मा के मुताबिक इनसे किसानों की आय बढ़ी है। वो कहते हैं, ष्सरकार सीधे किसानों को सपोर्ट करने की स्कीम लेकर आई,ये एक सही दिशा में उठाया गया कदम था।

लेकिन इन स्कीम ने काम किया या नहीं, ये बताने के लिए हमारे पास डेटा उपलब्ध नहीं है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए बना सरकार की एक कमेटी के चेयरमेन अशोक दलवाई के मुताबिक सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। वो कहते हैं, ष्हमें डेटा का इंतजार करना चाहिए. लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि पिछले तीन साला. ें में विकास की रफ्तार तेज हुई है, और आने वाले समय में यह और बढ़ेगी। दलवाई कहते हैं कि उनके 'आंतरिक मूल्यांकन' के मुताबिक वो श्सही दिशा में हैं।(साभार : बीबीसी)

न्याय वह है जो कि दूध का दूध, पानी का पानी कर दे, न कि पाखंडियों के जाल में फँस जाए।

मोदी सरकार संसद भवन की नई इमारत को लेकर उतावली क्यों?

सत्येंद्र श्रीवास्तव

भारत सरकार के प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर जैसे–जैसे ज़्यादा जानकारी मिल रही है, वैसे–वैसे इससे जुड़े सवालों की फेहरिस्त भी लंबी होती जा रही है.

सेंट्रल दिल्ली को एक नई शक्ल देने वाले इस प्रोजेक्ट के खिलाफ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है. बहस का मुद्दा एक ही है– एक नए संसद भवन समेत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच कई इमारतों के निर्माण की योजना सही है या गलत?

मौजूदा सेंट्रल विस्टा एक ऐतिहासिक इलाका है जिसे देखने लोग दूर–दराज से आते हैं और ख़ूबसूरती के साथ–साथ भारत की सत्ता के गलियारे भी यहीं रहे हैं।

बहराल, सेंट्रल विस्टा को नई शक़्ल देने की शुरुआत होगी संसद से और नई इमारत में ख़र्च होंगे तक़रीबन 971 करोड़ रुपये।

वैसे संसद में जगह बढ़ाने की मांग पिछले 50 वर्षों से ज़्यादा से उठती रही है और पिछली यूपीए सरकार में लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के कार्यकाल में भी इस पर बहस हुई थी।

हालांकि, मौजूदा प्रोजेक्ट के बारे में पहले कम ही सुना गया था इसलिए जब 2019 की चुनावी जीत के महीनों बाद ही भाजपा सरकार ने इसकी घोषणा की तो कुछ को हैरानी भी हुई।

दरअसल, सेंट्रल विस्टा राजपथ के क़रीब दोनों तरफ के इलाक़े को कहते हैं जिसमें राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क का इलाक़ा भी शामिल है। सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का घर भी आता है। मौजूदा सेंट्रल विस्टा में नेशनल म्यूज़ियम, नेशनल आर्काइव्ज की भव्य इमारत, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फोर आर्ट्स (IGNCA), उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन और जवाहर भवन भी आते हैं और इन सभी इमारतों को नया स्वरूप और शक़्ल देने की योजना है जिसकी कुल लागत 14,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। घोषणा के साल भर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई इमारत का शिलान्यास किया जिसमें 1200 से ज़्यादा सांसद और उनके स्टाफ एक साथ बैठ सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, ष्इससे सुंदर, इससे पवित्र क्या होगा कि जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा हमारी संसद की नई इमारत हो...ये समय और जरूरतों के अनुरूप, खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास है। प्रस्तावित संसद भवन के तैयार होने की तारीख़ साल 2024 है लेकिन एक बड़े सवाल के साथ कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसे बनाने की इजाजत देगा? जहाँ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सभी की राय और तरीक़ों को शामिल करने का भरोसा दिलाया है वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने संसद के निर्माण पर सरकार के रुख़ को आक्रामक बताया है।

सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल विस्टा के ख़िलाफ जाने वाले याचिकाकर्ता और वरिष्ठ आर्किटेक्ट नारायण मूर्ति का मानना है, ष्जिस तरह से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये हमारी सारी प्रक्रियाओं और संस्थाओं की उपेक्षा कर रहा है। उन्होंने बताया, ष्मेरे और आपके लिए, एक एफएआर होती है जो बताती है कि हम एक प्लॉट पर कितना बना सकते हैं. अगर हम दस वर्ग मीटर भी ज़्यादा बना लें तो उसकी इजाजत नहीं है और एमसीडी की टीम आकर उसको तोड़ देती है. लेकिन जितनी ऊंचाई की अनुमति है, अगर सरकार ही उसका डेढ़ गुना, जितनी एफएआर में अनुमति है उसका डेढ़ गुना बना रही है तो ये देश के लिए क्या सीख है. क्या इसका मतलब है कि जिसकी लाठी, उसकी भैंस?। जरूरत, लागत, सरकारी अनुमतियाँ या प्रस्तावित संसद की इमारत का डिजाइन, सभी चीजों पर राय बँटी हुई है. सवाल उठने लाजमी है कि क्या आजाद भारत में पहले भी ऐसा हुआ है। आधुनिक इतिहासकार और जवाहरलाल नेहरु विश्विद्यालय की पूर्व प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी का मानना है, ष्आधुनिक भारत में ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स प्रतिस्पर्धा के जरिए बने हैं, चाहे राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय। उनके मुताबिक, आईजीएनसीए, हो या कोई और, इनके बनने की प्रक्रिया में लोगों को, आर्टिस्ट्स या आर्किटेक्ट्स, सभी को शामिल किया गया था. अभी मुझे लगता है जो सरकार है या नौकरशाही है, वो इस पर बहुत ज़्यादा हावी है. अब जैसे संसद की इमारत है तो जो लोग संसद में समय बिता चुके हैं या अभी भी हैं, उनकी राय तो कहीं दिखाई नहीं देती. फिलहाल लगता है कि सरकार जो लोगों के लिए अच्छा समझती है वो कर देती है, उन्हें बता देती है बिना चर्चा किए हुए। वहीं केंद्र सरकार का दावा है कि परियोजना राष्ट्र हित में है क्योंकि सेंट्रल विस्टा के आधुनिक होने की जरूरत है जिससे सैकड़ों करोड़ रुपए भी बचेंगे और नई इमारतें ज्यादा मजबूत और भूकंपरोधी बनेंगी।

जो व्यक्ति शक्ति न होने पर मन में हार नहीं मानता उसे संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती

चेक बाउंस मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक मैकेनिज्म विकसित करने की पहल

सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक मैकेनिज्म विकसित करने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए एक रिट याचिका दर्ज की है। शीर्ष अदालत पंद्रह साल पहले दायर चेक अनादर की शिकायत के एक मामले पर दर्ज विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने टिप्पणी की।

एक ऐसा मामला, जिसे छह महीने में ट्रायल कोर्ट द्वारा निपटाया जाना चाहिए, इस मामले को ट्रायल कोर्ट के स्तर पर निस्तारित करने में सात साल लग गए। विभिन्न अदालतों में 15 साल से ऐसी प्रकृति का विवाद लंबित है और न्यायिक समय लेते हुए इस न्यायालय तक स्थान ले रहा है। ” संक्षिप्त रूप से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के विधायी इतिहास का वर्णन करते हुए पीठ ने कहा कि हालांकि, विधायी संशोधन और अदालत के विभिन्न फैसलों के माध्यम से कई बदलाव आए हैं लेकिन इन मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए ट्रायल कोर्ट में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। यह नोट किया गया कि बड़ी संख्या में मामलों का लंबित रहने का प्रमुख कारण मुकदमे के लिए न्यायालय के समक्ष अभियुक्तों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में देरी है। न्यायालय ने कहा कि यदि आवश्यक हो, तो CRPC की धारा 83 से प्रभावी होकर अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक मैकेनिज्म विकसित किया जा सकता है, जो चल संपत्ति सहित संपत्ति की कुर्की की अनुमति देता है। स्वतरू संज्ञान रिट याचिका दायर करते हुए कोर्ट ने वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा को एमिकस क्यूरिया और एडवोकेट के परमेस्वर को एमिकस की सहायता के लिए नियुक्त किया। कोर्ट ने कहा, संबंधित ड्यूटी–होल्डर्स को सुनने के बाद बोर्ड पर आने वाले कुछ संकेतात्मक पहलू हैं।

चेक के अनादर के मामलों में कानून के जनादेश को पूरा करने और ऐसे मामलों की उच्च पेंडेंसी को कम करने और मामलों से निपटने के लिए शीघ्र और न्यायपूर्ण तरीके से कार्य करने के लिए बैंकों, पुलिस और कानूनी सेवाओं के अधिकारियों जैसे विभिन्न ड्यूटी धारकों को योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार, हम उन्हें कानूनी जनादेश के अनुसार इन मामलों के शीघ्र निर्णय के लिए एक ठोस, समन्वित तंत्र विकसित करने के लिए सुनना आवश्यक समझते हैं। न्यायालय ने निम्नलिखित सुझाव ” अवलोकन किए प्रक्रिया का निष्पादन न होना पूर्वोक्त माध्यमों से जारी किए गए सम्मन के बावजूद, आगे की प्रक्रिया को निष्पादित न करने की समस्या बनी रहती है। जबकि उपरोक्त विधियों के माध्यम से समन जारी किया जा सकता है। सीआरपी की धारा 72 के अनुसार पुलिस के माध्यम से जमानती वारंट और गैर–जमानती वारंट निष्पादित किए जा सकते हैं। कई बार, पुलिस एजेंसी के रूप में निजी शिकायतों में जारी प्रक्रिया को ध्यान नहीं देती है। न्यायालय भी इस तथ्य के प्रति आशंकित रहते हैं, शिकायतकर्ता को अनुचित प्रक्रिया शुल्क का भुगतान करना होता है और लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से बचते हैं। आरोपी की उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए ब्त.च्ब की धारा 82 और 83 में संकेत दिया गया है, जिसका शायद ही कभी सहारा लिया जाता है। हम पाते हैं कि अदालत द्वारा बनाई गई प्रक्रिया/प्रणाली का निष्पादन विकसित करने और सभी हितधारकों जैसे शिकायतकर्ता, पुलिस और बैंक के ठोस प्रयासों के साथ अभियुक्तों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

बैंकों की भूमिका बैंकों, इस प्रकृति के मामलों में एक महत्वपूर्ण हितधारक होने के नाते यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे आवश्यक विवरण प्रदान करें और कानून द्वारा अनिवार्य परीक्षण की सुविधा प्रदान करें। सूचना साझा करने के लिए तंत्र विकसित किया जा सकता है जहां बैंक प्रक्रिया के निष्पादन के उद्देश्य के लिए शिकायतकर्ता और पुलिस के साथ आरोपी, जो खाताधारक है, के पास उपलब्ध सभी आवश्यक विवरण साझा करते हैं। इसमें संबंधित जानकारी को दर्ज करने की आवश्यकता शामिल हो सकती है, जैसे ईमेल आईडी, पंजीकृत मोबाइल नंबर और खाता धारक का स्थायी पता ,चेक या अनादर ज्ञापन पर धारक को अनादर के बारे में सूचित करना। भारतीय रिजर्व बैंक, नियामक निकाय होने के नाते, इन मामलों के परीक्षण के लिए अपेक्षित जानकारी और अन्य आवश्यक मामलों की सुविधा के लिए बैंकों के लिए दिशानिर्देश भी विकसित कर सकता है। छप् एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध से संबंधित मामलों में अभियुक्तों पर नजर रखने और इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए एक अलग ––सॉफ्टवेयर–आधारित तंत्र विकसित किया जा सकता है।

चेक का दुरुपयोग यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि चेक को अनावश्यक मुकदमेबाजी में दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। भारतीय रिजर्व बैंक चेक के एक नए प्रोफार्मा को विकसित करने पर विचार कर सकता है ताकि भुगतान के उद्देश्य को शामिल किया जा सके, साथ ही अन्य मुद्दों के साथ–साथ वास्तविक मुद्दों को स्थगित करने की सुविधा प्रदान की जा सके। बलपूर्वक तरीके से भी अभियुक्तों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकती है यदि आवश्यक हो तो CRPC की धारा 83 से प्रभावी करते हुए बलपूर्वक उपाय के द्वारा भी अभियुक्तों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जा सकता है। जो चल संपत्ति सहित संपत्ति की कुर्की की अनुमति देता है। एनआई एक्ट की धारा 143 ए के तहत अंतरिम मुआवजे की वसूली के लिए एक समान समन्वित प्रयास किया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 421 के अनुसार जुर्माना या मुआवजा भी वसूला जाएगा। बैंक अभियुक्तों के बैंक खाते

से अपेक्षित धनराशि हस्तांतरित करने के लिए नियत समय में धारक के खाते में सिस्टम की सुविधा प्रदान कर सकता है, जैसा कि न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

प्री लिटिगेशन सेटलमेंट बढ़ते एनआई मामलों के साथ इन मामलों में प्री–लिटिगेशन सेटलमेंट के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 अधिनियम की धारा 19 और 20 के तहत प्री–लिटिगेशन स्टेज पर लोक अदालत द्वारा मामले के निपटान के लिए एक वैधानिक तंत्र प्रदान करता है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 21, लोक अदालतों द्वारा पारित अवॉर्ड को एक सिविल कोर्ट के निर्णय के रूप में मान्यता देती है और इसे अंतिम रूप देती है। मुक. दमेबाजी से पहले के चरण या पूर्व–संज्ञान चरण में पारित एक अवॉर्ड का सिविल कोर्ट डिक्री की तरह प्रभाव होगा।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इस संबंध में जिम्मेदार प्राधिकरण होने के नाते, निजी मुकदमे दर्ज करने से पहले पूर्व–मुकदमेबाजी में चेक बाउंस से संबंधित विवाद के निपटारे के लिए एक योजना तैयार कर सकता है। प्री लिटिगेशन एडीआर प्रक्रिया का यह उपाय कोर्ट में आने से पहले मामलों को निपटाने में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है, जिससे डॉकेट का बोझ कम होगा। कम राशि के चौक मीटर एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) में इस अदालत ने धारा 138 के तहत अपराध की प्रकृति का भी अवलोकन किया था जो मुख्य रूप से एक सिविल रॉन्ग से संबंधित है। जबकि चेक अनादर का अपराधीकरण वर्ष 1988 में हुआ था, आज आर्थिक लेन–देन के परिमाण को ध्यान में रखते हुए, एक छोटी राशि के चेक का अनादर को अपराधीकरण की श्रेणी से बाहर रखने पर विचार किया जा सकता है, इसे सिविल क्षेत्राधिकार के तहत निपटाया जा सकता है।

बीमा कंपनी वाहन मालिक के बीमा दावे को केवल इस आधार पर नकार नहीं सकती कि चालक के पास फर्जी लाइसेंस था

अगर चालक लाइसेंस दिखाता है, जो देखने में असली लगता हो तो नियोक्ता से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह लाइसेंस की प्रामाणिकता की आगे जांच करे, जब तक उसे अविश्वास का कोई कारण नजर न आता हो।" सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है बीमा कंपनी वाहन मालिक के बीमा दावे को केवल इस आधार पर नकार नहीं सकती कि चालक के पास फर्जी लाइसेंस था।

न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने कहा कि यह साबित करने का दायित्व बीमा कंपनी पर है कि बीमित व्यक्ति ने लाइसेंस की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए पर्याप्त सावधानी नहीं बरती या उसने बीमा पॉलिसी की शर्तों या बीमा करार का जानबूझकर उल्लंघन किया था। बेंच शिकायतकर्ता द्वारा एनसीडीआरसी के उस आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई कर रही थी, जिसने बीमा कंपनी को उसकी देयता से वंचित कर दिया था, क्योंकि चालक के लाइसेंस का कोई रिकॉर्ड लाइसेंसिंग प्राधिकरण के पास नहीं था। बेंच ने इस मुद्दे पर विचार किया था कि चालक को नौकरी पर रखते वक्त नियोक्ताध्बीमित व्यक्ति से कितनी सावधानीध् तत्परता की अपेक्षा की जा सकती है? कोर्ट ने कहा कि ष्यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लेहरु एवं अन्यष के मामले में यह व्यवस्था दी गयी थी कि बीमा कंपनी को इस आधार पर अपनी देयता से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास विधिवत लाइसेंस नहीं था।

बेंच ने कहा, ड्राइवर को काम पर रखते वक्त नियोक्ता से यह सत्यापित करने की अपेक्षा की जाती है कि चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। अगर चालक लाइसेंस दिखाता है, जो देखने में असली लगता हो तो नियोक्ता से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह लाइसेंस की प्रामाणिकता की आगे जांच करे, जब तक उसे अविश्वास का कोई कारण नजर न आता हो। यदि नियोक्ता चालक को वाहन चलाने के लिए सक्षम पाता है और वह इस बात को लेकर संतुष्ट है कि चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो धारा 14 (2)(ए) (पप) का उल्लंघन नहीं माना जायेगा तथा बीमा कंपनी पॉलिसी के तहत उत्तरदायी होगी।

ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यता का पता लगाने के लिए पूरे देश में आरटीओ के साथ पूछताछ करने का दायित्व बीमित व्यक्ति पर देना अनुचित होगा।ष न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि बीमा कंपनी यह साबित करने में सक्षम रहती है कि मालिक ६ बीमित व्यक्ति को पता था या उसने यह महसूस किया था कि लाइसेंस फर्जी या अमान्य है, उसके बावजूद उस चालक को गाड़ी चलाने की अनुमति दी है, तब बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी।(साभार : इंटरनेट)

लोक जागृति के 20 प्रमुख मिशन

1.बेरोजगारों को रोजगार पाने में सहयोग
2.जन साधारण को स्वास्थ सेवाओं में जागरुकता एवं सहयोग
3.आरक्षण आर्थिक आधार पर होवे न कि जाति धर्म के आधार पर
4.पुलिस व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन
5.सरकारी सेवा के कर्मचारियों अधिकारियों को भी कार्य मूल्यांकन के आधार पर ही पदोन्नति एवं वेतन बढ़ोत्तरी हो न कि मात्र समयबद्ध
6.न्यायालयों के लिए हर प्रकार के मामलों के निस्तारण का समय तय हो
7.न्यायालयों में भारतीय भाषाओं में भी काम हो।
8.संसद एवं विधान सभाओं में चुने सदस्य राजनीति नहीं राष्ट्रनीति पर काम करें
9.शिक्षण एवं चिकित्सा संस्थानों की व्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण हो
10.सामाजिक सोसिएल ऑडिट की व्यवस्था हो
11.सक्षम नागरिकों को किसी तरह की सब्सिडी न मिले
12.रु. 2000 के नोटों का चलन बन्द हो ताकि ब्लैकमनी का चलन रुके
13.हर वस्तु एवं सेवा की लागत का अंकेक्षण करना और उपभेक्ता को लागत मूल्य की जानकारी
14.भारतीय दण्ड संहिता एवं साक्ष्य संहिता में मूल परिवर्तन कर झूठे केस एवं झूठी गवाही या गवाही बदलने, मुकरने पर दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान
15.समान शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था
16.देश के प्राकृतिक संसाधनों पर सरकार का पूर्ण अधिकार
17.शहरी आवासीय भूमि पर भी ग्रामीण कृषि भूमि की तरह सीलिंग कानून
18.कराधान एवं लाइसेंसी प्रक्रिया को सरल एवं स्पष्ट करना
19.लालफीताशाही का सर्वनाश करना
20.गरीबों की सही पहचान कर उन्हें निःशुल्क सेवा या सब्सिडी की जगह उचित रोजगार एवं स्वावलम्बी बनाकर राष्ट्रनिर्माण में शामिल करना।

हमारा निस्वार्थ प्रयास

लोक जागृति की स्थापना स्वामी नारायण जी के विचारों से प्रेरित होकर की गई है। योगी, त्यागी, सन्यासी महापुरूष लोक की जागृति के लिए संन्यास लेते हैं जिनमें स्वामी नारायण जी एक प्रमुख नाम है। स्वामी जी ने मानवतावादी धर्म के प्रसार–प्रचार के लिए विश्व भर में प्रयत्न किया और उनके प्रयास सफल रहे। वे वसुधैव कुटुम्बकम् की वैदीय परम्परा के प्रसारक योगी रहे। उनके धर्म–कर्म, मानवता के प्रसारक शिक्षा केन्द्र अक्षरधाम के नाम से पूरे विश्व में जगह जगह स्थापित हुए। उन्हीं सैकड़ों मंदिरों में से एक, दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है स्वामी नारायण जी ने जिला गोंडा के छपिया में जन्म लिया था। लोकजागृति संस्था से जुड़े हम अधिकांश सदस्य उन्हीं के क्षेत्र में अपना बालकाल और छात्रजीवन जिये और उनके बारे में सुनते पढ़ते रहे। कुछ सामर्थ्य मिलने पर उनके पगचिह्नों पर चलकर यथा संभव मानवतावादी, जनहितैषी काम करने की इच्छा थी जिसके प्रयोग और प्रयास में कुछ सुधी, पाठकों, विज्ञ जनों के साथ मिलकर सन् 2010 में लोकजागृति की स्थापना की। अपनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षमतानुसार हम सभी सदस्य इस गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के जरिये जनहितैषी प्रयास करते हैं और आम आदमी के सामाजिक, कानूनी मुद्दों से जुड़ी बातें प्रकाशित करते हैं।

प्रकाशित पत्रिका गाँव के ग्राम प्रधानों, जरूरतमंदों और समदर्शी विचारों से जुड़े सुधी जनों को निःशुल्क भेजी जाती हैं।सदस्य ही नहीं, लेखक, पत्रकार संस्था को निःशुल्क, अवैतनिक सेवा देते हैं। जनहित वाले कई आलेख हम साभार अन्य प्रकाशनों से उद्धृत करने की गुस्ताखी भी करते हैं।लोकजागृति संस्था भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12–ए एवं 80–जी के तहत मान्यता प्राप्त है। इससे संस्था एन.जी.ओ. प्रमाणित होने के साथ ही सुधी, संवेदनशील लोगों से संस्था को प्रदत्त दान, से उन दाताओं को आयकर में 50 फीसदी राशि की छूट मिला करती हैं।

हम दावा नहीं कर सकते कि अपने प्रयत्नों से बहुत कुछ बदल देंगे मगर छोटे–छोटे प्रयासों से समाज के अंतर्मन में रचनात्मकता बने रहती है, जिसके लिए सभी को यत्न करना चाहिए। मानव सभ्यता इसकी गवाह है। कायाकल्प कर देने या फिजा ही बदल देने के दावे या तो राजनैतिक लोग करते हैं या बड़बोले। हम स्वामी नारायण जी एवं युगों से दुनिया में अवतरित हुए ऐसे ही महापुरुषों की तरह उनके पगचिह्नों पर चलने का बहुत विनम्रता से सिर्फ तनिक प्रयास मात्र करते हैं। 'नामुक्तः क्षीयते कर्मः कल्प कोटि शतैरपि' की अवधारणा से हमें ऐसे कर्मों में जुटने की ताकत मिलती है। ईश्वर दया करें कि हम भी शूक्ष्म सहयोग इस आदि अनंत मानव श्रृंखला, जीव जन्तु एवं पर्यावरण के हित में कर पाऐं। संस्था के इस पारदर्शी मिशन से किसी भी तरह के सहयोग के लिए जाति धर्म से ऊपर, जो समविचार महानुभाव जुड़ना चाहते हों, उनका सहृदय स्वागत है।

लोक जागृति फोन: 9560522777; website: www.lokjagriti.

आवश्यकता है

देशभर में संवाददाताओं, विज्ञापन दाताओं की
हर खबर और तस्वीर का उचित मूल्य

संपर्क करें

लोक जागृति पत्रिका
95 ए, सेक्टर 3, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र. 201010
lokjagriti@gmail.com, 9560522777

केंद्रीय और राज्य कानूनों के वैधानिक एक्ट के तहत सिक्योर्ड लेनदारों के दावों पर पूर्ववर्ती स्थिति ले सकते हैं

सीए, रानी कुमारी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल केंद्रीय और राज्य कानूनों के तहत स्पष्ट रूप से बनाए गए वैधानिक प्रथम शुल्क, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट (SARFAESI) के तहत सिक्योर्ड लेनदारों के दावों पर पूर्ववर्ती स्थिति ले सकते हैं। मामला महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम बाबूलाल लाडे के मामले की सुनवाई से संबंधित है। अदालत के समक्ष मुद्दा यह था कि SARFAESI अधिनियम के तहत कारखाने के सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री से मिली राशि में से भुगतान के क्रम में कारखाना कर्मचारियों को पहले उनकी राशि चुकाई जाए या सिक्योर्ड ऋणदाताआ. ` के दावे को निपटाया जाए।

यह कहा गया कि कर्मचारियों की बकाया राशि का भुगतान अन्य भुगतान से पहले होना चाहिए क्योंकि अन्य दावे का भुगतान भूमि राजस्व से मिलने वाली बकाया राशि से हो सकते है। हालांकि, न्यायमूर्ति एम शांतनागौदर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र रिकग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेज एक्ट की धारा 50 के तहत जो रिकवरी प्रमाणपत्र जारी किये गए थे, उनके अनुसार कर्मचारियों की बकाया राशि भूमि राजस्व के बकाये के रूप में वसूली जा सकती है। इस तरह ऐसे कर्मचारियों का बकाया धारा 169(2) के तहत आएगा और सिर्फ अनसिक्योर्ड दावों से ही पहले उन पर गौर किया जा सकता है।

इस सन्दर्भ में अदालत ने कहा,

ष्जैसा कि इस अदालत ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम केरल राज्य (2009) 4 ``ब्ब 94 के मामले में कहा है, सिर्फ इस उद्देश्य से केंद्र और राज्य के कानूनों के तहत बनाए गए वैधानिक फर्स्ट चार्जेज पर ही ` ।त्थ्।म्ै अधिनयम के तहत सिक्योर्ड ऋणदाताओं के दावे से पहले गौर किया जा सकता है।

यह केवल राजस्व की बकाया राशि के रूप में बकाये की वसूली के लिए पर्याप्त नहीं है। यह देखते हुए कि एमआरटीयू एंड पीयूएलपी अधिनियम के तहत कर्मचारियों के बकाये के भुगतान को श्फर्स्ट चार्जश बनाने से चूक जाता है, यह नहीं कहा जा सकता कि इस दावे पर अपीलकर्ता–बैंक के दावे से पहले गौर किया जा सकता है जो कि सिक्योर्ड ऋणदाता हैं।ष इस तरह, हम देखते हैं कि भूमि राजस्व कोड की योजना और एमआरटीयू एंड पीयूएलपी अधिनियम के तहत बैंकों के दावों से पहले कर्मचारियों के दावे पर गौर नहीं किया जा सकता।

लेकिन पीठ ने स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि सिक्योर्ड परिसंपत्तियों को बेचने से मिली राशि में सिर्फ बैंक का हिस्सा है। SARFAESI अधिनयम के तहत ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक, वित्तीय संस्थानों या अन्य सिक्योर्ड ऋणदाताओं को सिक्योर्ड परिसंपत्तियों को बेचने से मिली राशि से भुगतान में वरीयता दी जाएगी। अंततः पीठ ने कहा कि बैंक पर नीलाम की गई परिसंपत्ति से मिली राशि में से कर्मचारियों के बकाये का भुगतान करने की जिम्मेदारी है।

बीमा पॉलिसी के लाभार्थी भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 'उपभोक्ता' हैं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीमाधारक द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी के लाभार्थी भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 'उपभोक्ता' हैं, भले ही वे बीमा अनुबंध के पक्षकार न हों। इस मामले में, किसानों ने श्रीदेवी कोल्ड स्टोरेज नामक एक साझेदारी फर्म के तहत संचालित कोल्ड स्टोर में अपनी उपज का भंडारण किया था।

कोल्ड स्टोरेज फर्म का बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ किया गया था। राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी द्वारा कोल्ड स्टोर के दावे को निरस्त करने के खिलाफ किसानों द्वारा दायर शिकायतों के मामले में राहत दी थी। बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील में तर्क दिया गया था कि किसानों और बीमा कंपनी के बीच अनुबंध का कोई संबध नहीं है क्योंकि पॉलिसी कोल्ड स्टोरेज फर्म द्वारा ली गई थी, न कि किसानों द्वारा नहीं, इसलिए उन्हें श्उपभोक्ताश नहीं कहा जा सकता है अधिनियम की धारा 2 (डी) के तहत श्उपभोक्ताश की परिभाषा का उल्लेख करते हुए, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि अधिनियम के तहत उपभोक्ता की परिभाषा बहुत व्यापक है और इसमें केवल वह व्यक्ति ही शामिल नहीं है, जो सेवा खरीदता है या सेवाओं का लाभ उठाता है, बल्कि इसमें ऐसे लाभार्थी भी शामिल होते हैं, जो उस व्यक्ति, जिसने सेवाएं खरीदी हैं या प्राप्त की हैं, के अलावा अन्य व्यक्ति हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा– ष्धारा 2 (डी) के तहत उपभोक्ता की परिभाषा 2 भागों दी गई में है।

एक बुद्धिमान व्यक्ति प्यार में मूर्ख हो सकता है।

आरोप का अर्थ आरोप अभियोजन की प्रथम कड़ी होती है

आपराधिक प्रकरण संचालन के लिए प्रक्रिया विधि में आरोप का महत्वपूर्ण स्थान है। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 17 में आरोप के लिए यह पूरा अध्याय है, जिसमें धारा 211 से लेकर 224 तक आरोप संबंधित सभी प्रावधान दिए गए हैं। आरोप का अर्थ आरोप अभियोजन की प्रथम कड़ी होती है तथा आरोप के बाद ही अभियोजन की अगली कार्यवाही की जाती है। आरोप के अभाव में अभियोजन प्रारंभ नहीं हो सकता। आरोप अभियुक्त के विरुद्ध अपराध की जानकारी का ऐसा लिखित कथन होता है जिसमें आरोप के आधार के साथ साथ अपराध की श्विधिश श्समयश श्स्थानश उसमें शामिल श्व्यक्तिश एवं श्वस्तुश का भी उल्लेख रहता है। आरोप के आधार पर ही अभियुक्त अपना बचाव प्रस्तुत करता है। सामान्यता आरोप तभी लगाया जाता है जब मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। आरोपित प्रकार की जानकारी होती है जो अभियुक्त को दी जाती है।

यह नैसर्गिक न्याय है कि किसी भी अभियुक्त पर जब अभियोजन चलाया जाए तो उसको अभियोजन से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे दी जाए। आरोप मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए जाते हैं न की अभियोजन द्वारा। अभियोजन पक्ष अपनी रिपोर्ट लेकर आता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत अभियोजन अपना अंतिम प्रतिवेदन पेश करता है। अंतिम प्रतिवेदन के पेश होने के उपरांत मजिस्ट्रेट आरोप लगाता है। न्यायालय आरोप को लिखता है तथा अभियुक्त व्यक्ति को यह संज्ञान देता है कि उस पर क्या आरोप लगाए गए हैं और कौन से अपराध का विचारण उस अभियुक्त पर आगे चलाया जाएगा। आरोप का प्ररूप दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 211 आरोप के प्ररूप का वर्णन करती है। इस धारा में आरोप की अंतर्वस्तु के बारे में उपबंध दिए गए हैं। आरा. `प को संहिता की धारा 2 के परिभाषा खंड के अधीन परिभाषित किया गया है परंतु धारा 2 के अंतर्गत केवल आरोप की परिभाषा मात्र दी गई है तथा संहिता के अध्याय 17 में आरोप से संबंधित समस्त जिज्ञासाओं को शांत किया गया है। साधरण भावबोध में आरोप शब्द से तात्पर्य अभियुक्त को उसके अपराध के बारे में जानकारी देने का एक साधन है, जिसमें आरोप के आधारों के साथ–साथ समय स्थान तथा उस व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख रहता है जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है। न्यायालय द्वारा आरा. `प उसी सूरत में लगाया जाता है जब न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि प्रथम दृष्टया कोई अपराध बनता है। अजय कुमार बनाम झारखंड राज्य के एक प्रसिद्ध मामले में न्यायालय ने यह कहा है कि आरोपों को तय करने से पहले अभियोजन के साक्षियों का प्रति परीक्षण करने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए परंतु विजयन बनाम केरल राज्य के मामले में न्यायालय ने कहा है कि जब मजिस्ट्रेट को यह प्रथम दृष्टया समाधान होता है की कोई अपराध किया गया है तो उस आधार पर ही आरोप तय होते है तथा दोनों पक्षों को बहस मात्र कर लेने से ही आरा. `प तय करने का अधिकार न्यायालय को प्राप्त हो जाता है। आरोप की अंतर्वस्तु आरोप की अंतर्वस्तु में निम्नलिखित बातों का उल्लेख होना चाहिए।

1) अभियुक्त पर आरोपित अपराध

2) उस अपराध का सृजन करने वाली विधि यदि उस अपराध का कोई विनिर्दिष्ट नाम देती हो तो आरा. `प में उसका वर्णन उसी नाम से किया जाएगा।

3) अपराध का सृजन करने वाली विधि उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम ना देती हो तो उस अपराध की इतनी परिभाषा देनी चाहिए जिससे अभियुक्त को इस बात की सूचना हो जाएगी उस पर किस अपराध का आरोप है।

4) आरोप में संबंधित विधि और उसकी निश्चित धारा का उल्लेख होना चाहिए जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है।

5) यह तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है इस बात का प्रमाण होगा कि मामले में विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त पूरी हो गई है।

6) आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाना चाहिए

7) यदि अभियुक्त किसी पूर्व दोष सिद्धि के कारण अति. रिक्त या वर्धित दंड का भागी है तो उस दशा में आरोप में पूर्व दोष सिद्धि की तिथि समय तथा स्थान आदि का उल्लेख किया जाएगा। अनुप कुंवर बनाम गुजरात राज्य 1985 क्रिमिनल लॉ 394 मामले में कहा गया है ष्आरोप में इस बात को भी दर्शाया गया है कि अभियुक्तों में से प्रत्येक अभियुक्त अपराध में किस प्रकार संबंधित है तथा उनमें से प्रत्येक ने किस तरह से अपराध में भाग लिया है।

यह सभी कुछ आरोप की अंतर्वस्तु है न्यायालय द्वारा लगाए जाने वाले किसी भी आरोप में इन सभी अंतर्वस्तु का महत्वपूर्ण स्थान है और इन सभी को किसी भी आरोप में होना ही चाहिए। जब धारा 211 एवं 212 में वर्णित विशिष्टियां अभियुक्त पर उस पर लगाए गए आरोप या आरोपों के बारे में समुचित जानकारी देने के लिए अपर्याप्त हो तो मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप में उस रीति का उल्लेख भी किया जाना चाहिए जिस प्रकार से अभी कथित अपराध किया गया है। (साभार : इंटरनेट)

सभी लोगो के लिए काम, रोटी, पानी और नमक हो।

धारा 215 : आरोप में गलतियों के कारण उत्पन्न होने वाले दुष्परिणाम के निवारण हेतु उपबंध हैं

आरोप में गलतियों के प्रभाव दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 215 के अंतर्गत गलतियों के प्रभाव के परिणाम दिए गए हैं। धारा 215 के अनुसार आरोप विचरित करते समय या विशिष्टियों में कोई गलती हो जाए तो इन गलतियों का क्या प्रभाव होगा इस पर वर्णन किया गया है। इस धारा के अनुसार किसी भी एंट्री में किसी भी गलती या लोप से कोई अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया है और उसके कारण मामले में न्याय नहीं हो पाया है तो ऐसी परिस्थिति में गलती को तात्विक माना जाएगा। धारा 215 स्पष्ट करती है कि गलती या लोप को तभी तात्विक माना जाएगा जब गलती या लोप के कारण अभियुक्त के साथ अन्याय हुआ हो या फिर अभियुक्त भुलावे में पड़ गया हो और ऐसे भुलावे में पड़ने के कारण अन्याय हुआ हो। धारा में आरोप में गलतियों के कारण उत्पन्न होने वाले दुष्परिणाम के निवारण हेतु को उपबंध दिए गए है। यह धारा अपने लक्ष्य को भली–भांति प्राप्त भी करती है।

दामोदरन बनाम राज्य ए आई आर 1953 के मामले में यह कहा गया है कि ऐसे त्रुटिपूर्ण आरोप के आधार पर किए गए विचारण को तब तक घोषित नहीं माना जाएगा जब तक कि उक्त त्रुटिपूर्ण आरोप से अभियुक्त के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो। यह न्याय निर्णय भी स्पष्ट करता है कि अभियुक्त के न्याय के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो ही धारा 215 के अधीन गलतियों को तात्विक माना जाएगा। हेमंत कुमार महापात्र बनाम विनोद बिहारी महापात्र एक महत्वपूर्ण मामले में निश्चित किया गया कि आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का उल्लेख ना किया जाना एक ऐसा लोप है जिसका केवल बौद्धिक महत्व है क्योंकि इसके कारण अभियुक्त अपने अपराध के बारे में बुलावे में नहीं पड़ा था। इस मामले में आरोप लगाते समय धारा 34 का लोप हो गया था।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 464 एवं 465 भी इस ही संबंध में है। धारा 464 में यह उपबंधित है कि यदि आरोप में कोई तात्विक त्रुटि है गलती रह गई है जिसके कारण न्याय की निष्फलता हुई है तो अभियुक्त का पुनः विचार किया जाएगा। धारा 215 को धारा 465 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इन दोनों धाराओं का संयुक्त प्रभाव होकर यदि आरोप की रचना में किसी प्रकार की भूल, लोप य कोई अनियमितता हुई है तो न्यायलय केवल इस बात पर विचार करेगा कि क्या इसके कारण अभियुक्त के प्रति उसके बचाव में कोई अन्याय हुआ है। यदि अभियोजन पक्ष ने आरोप पत्र में अभिकथित आरोप के अलावा कोई अन्य मामला गढ़ा है तो अभियुक्त के साथ सरासर अन्याय होगा। आरोपों में परिवर्तन तथा परिवर्धन–(बदलना और बढ़ाना) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 के अंतर्गत न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी आरोप में परिवर्तन तथा परिवर्धन कर सकता है। विचारण की कार्यवाही के दौरान मजिस्ट्रेट यह अनुभव करें कि आरोप अपूर्ण एवं दोषपूर्ण है तो वह उसमें परिवर्तन कर सकता है। यह बात ए ए सिंह बनाम मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश ए आई आर 1961 मणिपुर के मामले में कही गयी है। धारा 216 आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन के पश्चात निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करने का उपबंध करती है– 1) इस तरह का प्रत्येक परिवर्तन या परिवर्धन अंश अभियुक्त को पढ़कर सुनाया तथा समझाया जाएगा। 2) इस तरह के परिवर्तन या परिवर्धन से न्यायालय की राय में अभियुक्त को स्वयं की प्रतिरक्षा करने एवं अभियोजन के संचालन में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है तो न्यायालय ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के पश्चात स्वविवेक से विचारण को अनुवर्तित क्रम में ऐसे चला सकता है मानो परिवर्तित या परिवर्धित आरोप ही मूल आरोप है। 3) यदि परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में उससे अभियुक्त या अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो न्यायालय या तो नए विचारण का निर्देश दे सकता है या आवश्यकता अनुसार विचारण को अनुवर्तित अवधि के लिए स्थगित कर सकता है। 4) यदि परिवर्तित या परिवर्धित आरोप के परिणाम स्वरूप कथित अपराध के अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है तो ऐसी मंजूरी प्राप्त किए बिना कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। न्यायालय द्वारा स्वयं के विवेक से या अभियोजन के पक्ष के आवेदन पर आरोप में परिवर्तन या परिवर्तन किया जा सकता है। निजी अधिनवक्ता भी दे सकता है आरोप में परिवर्तन के लिए आवेदन– जहां आरोप में परिवर्तन हेतु परिवादी की ओर से किसी निजी अधिवक्ता ने आवेदन किया हो तथा उसे लोक अभियोजक ने अग्रेषित किया हो तो ऐसा परिवर्धन स्वीकार होगा तथा इसमे किसी प्रकार की अवैधता नहीं होगी। यह बात राधेश्याम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1992 के मामले में कही गई है। सामान्यतः अभियोजन पक्ष न्यायालय को आरोपों में परिवर्तन तथा परिवर्धन करने हेतु कोई आवेदन देता है।

उच्चतम न्यायालय ने एक बड़े और महत्वपूर्ण मामले में सब्बी मलेसू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य ए आई आर 2006 उच्चतम न्यायालय 2747 के मामले में यह कहा है कि न्यायालय के आरोपपरिवर्तित या परिवर्धन शक्ति के बारे में कोई संदेह नहीं है या फिर कोई शंका भी नहीं है लेकिन धारा 216 उपधारा (2) न्यायालय से यह अपेक्षा अवश्य करती है कैसे परिवर्तन या परिवर्धन की सूचना अभियुक्त को अनिवार्य रूप से दे दी जाए ताकि वह तदनुसार अपने बचाव की व्यवस्था कर सकें। किसी भी परिस्थिति में आरोप का अर्थ अभियुक्त को दी जाने वाली एक सूचना है जो अभियुक्त को यह जानकारी देती है कि उसके विरुद्ध किस न्यायालय में, किस अधिनियम, किस विधि के अंतर्गत, किन धाराओं के अनुसार, किस अपराध में अभियोजन चलाया जा रहा है। उससे यह पूछा जाता है कि वह आरोपों को स्वीकार करता है या फिर अभियोजन चाहता है। धारा 217 आरोप में परिवर्तन होने पर साक्षियों को पुनः बुलाय जाने का उपबंध करती है।

कठिनाई के बिना कोई सफलता नहीं मिलती।

...जब केवल अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने वाले एक कानून को असंवैधानिक करार दिया गया

अभिव्यक्ति की आजादी के क्षेत्र में दिया गया महत्वपूर्ण फैसला है। यह पहला और इकलौता मौका था, जब केवल अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने वाले एक कानून असंवैधानिक करार दिया गया था। जैसा कि सेखरी और गुप्ता ने कहा है कि धारा 66 ए का प्रावधान ऐसा उत्तर संवैधानिक कानून था, जिसे पुलिस नियमित रूप से इस्तेमाल करती थी, वही इसे कई पूर्व–संवैधानिक कानूनों और धारा 377, आईपीसी (समलैंगिकता को अपराध करार देना), धारा 497, आईपीसी (व्यभिचार को अपराध करार देना) जैसे कम इस्तेमाल होने वाले कानूनों से अलग करती थी। इन्हें भी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया था। इस ऐतिहासिक फैसले की पांचवीं वर्षगांठ पर, हम जांच करेंगे कि क्या यह फैसला अपने वादों के अनुरूप आचरण कर पाया और भारत में अभिव्यक्ति की आजादी के कानूनों में व्यापक सुधार का प्रस्थान बिंदु बन पाया।

हालांकि शुरुआत करने से पहले , दोबारा समझ लेते है कि 24 मार्च 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। इस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) के तीन प्रमुख प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। विशेष रूप से, आईटी एक्ट की धारा 66 ए की चर्चा की गई है, जिसके जरिए ऑनलाइन अभिव्यक्ति को आपराधिक करार दिया गया। धारा 66 ए को असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दो सिद्धांत पेश किए थे, पहला– अस्पष्टता की स्थिति में शून्य का सिद्धांत और दूसरा सभी माध्यमों में भेदभाव की अनुमति। अस्पष्टता, अतिशय, और उत्तेजना का कारण अस्पष्टता की स्थिति में शून्य का सिद्धांत इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश बनाम बालदेव प्रसाद में गैर अभिव्यक्ति के संदर्भ में लागू किया गया था, जहां अदालत ने गुंडा एक्ट के प्रावधानों को खत्म किया था, क्योंकि वे प्रावधान यह परिभाषित करने में विफल थे कि गुंडा कौन है? और एके रॉय बनाम भारत संघ मामले में लागू किया था, जहां न्यायालय ने आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को परिभाषित करने में विफल रहने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के प्रावधानों को रद्द किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केए अब्बास बनाम भारत संघ और करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में सिद्धांत की प्रासंगिकता एक भाषण संदर्भ में महत्व दिया था, लेकिन इन मामलों में न्यायालय ने सिद्धांत का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक मानते हुए किसी भी प्रावधान को खत्म नहीं किया। हालांकि, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में न्यायमूर्ति नरीमन दलील को तार्किक निष्कर्ष तक ले गए और धारा 66 ए को यह कहते हुए रद्द कर दिया किया, यह इंटरनेट उपयोगकर्ताओं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अदालतों के लिए स्पष्ट मानक तय करने में बहुत अस्पष्ठ है।

विशेष रूप से, निर्णय अस्पष्टता सिद्धांत की स्थिति में शून्य पर बनाता है और यह अतिशय सिद्धांत को अपनाता है, जो अमेरिका में अभिव्यक्ति की आजादी से संबंधित मामलों के जरिए विकसित हुआ है। सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संरक्षित अभिव्यक्ति अनजाने में असंरक्षित अभिव्यत्ति की श्रेणी में नहीं आए। श्रेया सिंघल मामले में, न्यायमूर्ति नरीमन ने विचार किया है कि प्रावधान के वाक्यांश कैसे उस तरीके से जुड़ते हैं, जिस तरीके से इन्हें लागू किया जाता था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रावधान के तहत संरक्षित और निर्दोष अभिव्यक्तियों को भी शामिल किया गया है, इसलिए कठोर प्रभाव रखता है। नतीजतन, धारा 66 ए को.. अतिशयता के आधार पर समाप्त किया गया। यह निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत संरक्षित अभिव्यक्ति व भाषण की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के लिए भी महत्वपूर्ण है। न्यायालय के अनुसार केवल उन भाषणों को प्रतिबंधित माना जा सकता है, जिनका सार्वजनिक व्यवस्था के साथ आसन्न संबंध है या अनुच्छेद 19 (2) के तहत संरक्षित हितों से संबंध है। कोर्ट ने व्हिटनी बनाम कैलिफोर्निया मामले में जस्टिस ब्रैंडिस के प्रसिद्ध फैसले पर भी भरोसा किया है, जिसमें जस्टिस ब्रैंडिस ने कहा है कि किसी भाषण को गैरकानूनी तभी माना जा सकता है, जब उससे तत्काल हिंसा की गंभीर आशंका हो। हालांकि, भाटिया जैसे विद्वानों का सुझाव है कि यह बेहतर होता अगर न्यायमूर्ति नरीमन ष्आसन्न कानून विहीन कार्रवाई के लिए उकसावेष के मानक की तर्ज पर उकसावे को ब्रैंडेनबर्ग बनाम ओहियो के फैसले क आधार पर तय करते, बजाय कि पुराने पड़ चुके श्क्लियर एंड प्रेंजेंट डेंजर टेस्टश के।

इन सिद्धांतों को लागू करते हुए कोर्ट ने धारा 66 ए को गैरकानूनी पाया था क्योंकि यह जनता के साथ साझा किए गए संदेशों तक सीमित नहीं थी और यदि उस व्यक्ति पर भी लागू होती थी, जिसने उकसाने की ऐसी कोई गति. विधि नहीं की है,जिससे सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो। माध्यमों का भेदभाव राज्य का एक तर्क यह था कि इंटरनेट पर भाषण को प्रति. बंधित करने वाले कानूनों को न्यायिक समीक्षा के एक मानक के अधीन होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी पहुंच, उपयोग में आसानी और अपेक्षाकृत अधिक अज्ञातता के कारण इंटरनेट एक खतरनाक माध्यम है।

कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह ऐसे कानून पास करना संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है, जो कि इंटरनेट पर गैर–कानूनी सामग्री साझा करने पर अधिक कठोर तरीके से दंडित करते हों, अपेक्षाकृत यदि सामग्री ऑफलाइन तरीके से साझा की गई है। हालांकि, ऐसे कानून को अनुच्छेद 19

न्यायपूर्वक कमाया हुआ धन असली धन होता है।

(2) के तहत का पालन करना चाहिए। न्यायालय द्वारा इस तरह का अवलोकन 2020 में भारतीय इंटरनेट उपयोकर्ताओं के लिए में विशेष महत्व रखता है। भारत की इंटरनेट आबादी में कई गुना वृद्धि हुई है और फिलहाल 650 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। भारत में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या किसी भी अन्य देश से ज्यादा है,जो इंटरनेट पहली बार आए हैं और जो सोशल नेटवर्क से जुड़े हैं।

असंवैधानिक कानून के बाद जीवन श्रेया सिंघल के फैसले की एक विरासत यह है कि यह असंवैधानिक कानूनों के जीवन चक्र के संदर्भ में बहुत कुछ सिखाती है। यह मामला हमें सिखाता है कि फैसले के वास्तविक प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन और प्रवर्तन के संदर्भ में बहुत कुछ किया जाना है। उदाहरण के तौर पर, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन द्वारा नवंबर 2018 में प्रकाशित एक वर्किंग पेपर के कहा गया है कि 2015 में धारा 66 ए के ख़त्म होने के बावजूद, इस प्रावधान के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट में भी यह धारा लागू की जा रही है।

श्रेया सिंघल मामले की मूल याचिकाकर्ता पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज ने इसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिसंबर 2018 में फैसले को लागू कराने के लिए एक आवेदन दायर किया था। न्यायालय ने भी इस बात से नाराजगी जताई थी कि धारा 66 ए के तहत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया जाना रुका नहीं है, हालांकि ऐसी गलतियों में लिप्त अधिकारियों पर उसने कोई जुर्माना नहीं लगाया थाऔर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों और मुख्य सचिवों को जजमेंट की प्रतियां दी थी। और उन्हें जिला अदालतों और पुलिस स्टेशनों उक्त आदेश से अवगत कराने का आदेश दिया गया था।

हालांकि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन को आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि कुछ उच्च न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की सूचना अब तक नहीं मिली है। , और उन्होंने आरटीआई दायर किए जाने के बाद ही श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले को जिला अदालतों तक भेजा। धारा 66ए को रद्द किए जाने जैसे न्यायिक फैसले के प्रचार के लिए संचार साधनों का अभाव और अधिकारियों का ढीलाढाला रवैया भारत में रणनीतिक मुकदमेबाजी की सीमाओं की बानगी है। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ जैसे मामलों में मिली न्यायिक जीत को जमीन पर वास्तविक परिणामों में बदलने के लिए, निरंतर निगरानी जरूरी है।(साभार : इंटरनेट)

न्यायपालिका से विधायिका की ओर कूच कितना सही

जो व्यक्ति, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में न्याय की मूर्ति के तौर पर पद ग्रहण करते हुए, संविधान एवं विभिन्न कानूनों की व्याख्या करते हुए न्याय कर रहे होते हैं, और सवा सौ करोड़ लोगों का भाग्य तय कर रहे होते हैं, वो लोग अपनी सेवानिवृत्ति के बाद स्वयं के हित को क्यों अपनी प्रामाणिकता एवं सत्यनिष्ठा से ऊपर रख देते हैं? भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश (जो 4 महीने पहले ही अपने पद सेवानिवृत्त हुए हैं) न्यायपालिका के मजबूत दरवाजे को खोलकर, शायद एक अनकही मर्यादा की सीमा को लांघ कर, विधायिका के विशाल महल में प्रवेश कर चुके हैं । एक व्यक्ति जो सेवानिवृत्ति प्राप्त कर चुका है, एक सर्वोच्च संवैधानिक पद पर रहा है, अनुभवी है, वो राज्यसभा का सदस्य बन , इससे शायद देश का, और आम जनता का भला ही होगा, लेकिन शायद इन सबके साथ ही हमे यह नहीं भूलना चाहिए कि यह व्यक्ति कौन है, और इसका इतिहास क्या रहा है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, रंजन गोगोई के कथन से ही शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा था, ष्कड़वी सच्चाई स्मृति में बनी रहनी चाहिए।ष यह कहते हुए हालाँकि उन्होंने इस सच्चाई की कड़वाहट की सीमा तय नहीं की थी, और बेशक आज वह सच्चाई हम सबके सामने है, जब वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ , वह भी उसी सरकार द्वारा भेजे जाने के फलस्वरूप, जिस सरकार ने अनगिनत मामलों में उनके समक्ष पैरवी की होगी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, सच्चाई अक्सर कड़वी होती है, लेकिन यह कड़वी सच्चाई हमेशा सेहतमंद भी हो, ऐसा कत्तई नहीं हो सकता। हमारे जनतंत्र के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, रंजन गोगोई का राज्यसभा में सदस्य के रूप में जाना (राष्ट्रपति द्वारा नामित किये जाने के फलस्वरूप), एक अच्छा संकेत नहीं है। और जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जस्टिस, कुरियन जोसेफ ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा राज्यसभा सीट स्वीकार करने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा हमारा महान राष्ट्र बुनियादी संरचनाओं और संवैधानिक मूल्यों पर मजबूती से टिका हुआ है, मुख्य रूप से स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए धन्यवाद। जिस पल लोगों का यह विश्वास हिल गया है, उस पल यह धारणा है कि न्यायाधीशों के बीच एक वर्ग पक्षपाती हो रहा है।ष इस लेख के केंद्र बिंदु में एक ही व्यक्ति रहने वाले हैं, और वो हैं भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश, रंजन गोगोई, जिन्हें हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में नामित किया है। दरअसल, संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा काउंसिल ऑफ स्टेट्स में नामित किया जाता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के रूप में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति गोगोई को नामित सदस्य में से एक, के. टी. एस. तुलसी के सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त स्थान को भरने के लिए नामित किया गया है। पूर्व सीजेआइ रंजन गोगोईरू शोर मचाने की उम्मीद देकर शांत रहने वाले मुख्य न्यायाधीश मुझे याद है, वर्ष 2018 में जब इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा सुप्रीम कोर्ट के उस समय के दूसरे वरिष्ठतम जज, रंजन गोगोई को रामनाथ गोयनका मेमोरियल लेक्चर के लिए बतौर वक्ता चुना गया था, तो मुझे इस बात को लेकर काफी उम्मीद थी कि यह लेक्चर कई मायनों में उनके आने वाले कार्यकाल (बतौर मुख्य

कोई भी देश वास्तव में तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उसके सभी नागरिक शिक्षित नहीं हो जाते।

न्यायाधीश) के रोडमैप की कहानी बयान करेगा और हुआ भी यही। हालाँकि, यह बस बातों तक सीमित था। उन्होंने अपने लेक्चर में यह कहा था कि, ष्न केवल स्वतंत्र न्यायाधीश और शोरगुल करने वाले पत्रकार, बल्कि यहां तक कि स्वतंत्र पत्रकार और कभी–कभार शोरगुल करने वाले न्यायाधीश भी समय की मांग हैं।ष उनका इशारा साफ था कि शायद मौजूदा वक्त में तमाम प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता थी। हालाँकि, यह बात और है कि वो परिवर्तन की ओर इंगित अवश्य कर रहे थे, पर वे स्वयं परिवर्तन करने के इच्छुक नहीं थे। लाइव लॉ के मैनेजिंग एडिटर, मनु सेबेस्टियन के इस लेख में तमाम ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, जिनमे यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, रंजन गोगोई के पास ऐसे बहुत से स्वर्णिम अवसर थे जब वे अपने फैसलों के जरिये शोर मचा सकते थे, लेकिन उन्होंने शांत रहना चुना। मैं इन तमाम उदाहरण में कुछ अन्य मामलों को जोड़ना चाहूँगा।

यहाँ यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि शोर मचाने का तात्पर्य केवल यह ही नहीं होता की बहुत कुछ, बहुत जोर से बोला ही जाए, यह ठीक उस प्रकार है कि शान्ति का मतलब, चुप ही रहना नहीं होता। आप या तो अपनी संस्था और आम–जन के हित में कुछ बहुत प्रभावशाली कदम उठा कर शोर मचा सकते हैं (या तो मुखर रूप से बोलते हुए अथवा अन्यथा), या तो आप उसी संस्था और आम–जन के हितों से मुंह फेर कर शांत रह सकते हो (या तो मुखर रूप से बोलते हुए अथवा अन्यथा)। इसलिए शोर मचाने और शांत रहने के प्रत्येक मामले को उसके सन्दर्भ के अनुसार समझा जाना चाहिए। चलिए, अब मै कुछ उदाहरण पेश करता हूँ। अयोध्या मामला भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, रंजन गोगोई द्वारा अयोध्या मामला सुनने के लिए 5 जजों की बेंच गठित करना भी हैरानी भरा फैसला था जबकि मूल रूप से इस मामले को 3 जजों की बेंच को भेजा गया था। इस समबन्ध में उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट नियमों का हवाला अवश्य दिया गया लेकिन तमाम लोगों को यह तर्क पचा नहीं। अभिजीत अय्यर–मित्रा मामला अक्टूबर 2018 में एक टिप्पणीकार, अभिजीत अय्यर–मित्रा, जो कोणार्क सूर्य मंदिर वास्तुकला और उड़ीसा संस्कृति पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के आरोपों का सामना कर रहे थे उन्होंने शीर्ष अदालत में अपनी हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की जब वो जेल में थे। राहत देने से मना करते हुए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (ब्श्रप्) रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह रिकॉर्ड पर टिपण्णी की थीरू ष यदि आप कहते हैं कि आपको खतरों का सामना करना पड़ता है, तो आपके लिए सबसे सुरक्षित स्थान जेल में होगा। आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा।

आपने धार्मिक भावनाओं को भड़काया है। सर्वोच्च अदालत द्वारा हैबियस कॉर्पस याचिका में एक बंदी को यह कहा जाना कि वह जेल में ही सुरक्षित है, जबकि वह बंदी, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर रहा है, यह हैरान भरा एवं मजाक से भरा आदेश जान पड़ता है। पर कश्मीर से सम्बंधित हैबियस कॉर्पस याचिका के अलावा इस मामले में भी हमने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई के दौर में ऐसे ही कुछ आदेश देखे। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का मामला जब एक याचिकाकर्ता, जम्मू–कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर में अबाध संचरण (डवअमउमदज) के अधिकार का दावा करना चाहती थी, तो उनसे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वह श्रीनगर में अबाध संचरण (डवअमउमदज) की स्वतंत्रता क्यों चाहती हैं। ष्तुम क्यों घूमना चाहती हो? श्रीनगर में बहुत ठंड है,ष भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने पूछा था। यह मौखिक टिपण्णी न्यायाधीश गोगोई द्वारा तब की गयी थी जब इल्तिजा की वकील, नित्या रामकृष्णन ने उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति मांगी थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात 25 नवम्बर, 2018 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को को बिम्सटेक देशों – बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और थाईलैंड के न्यायाधीशों के लिए आयोजित एक रात्रिभोज में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचे और वहां मौजूद लोगों के अनुसार, उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को आश्चर्यचकित करते हुए यह मांग की कि वह उन्हें कोर्ट नंबर 1 दिखाएँ जहाँ वह स्वयं बैठते हैं।

यह तब की बात है जब वर्ष 2002 में गुजरात को हिला देने वाली सांप्रदायिक हत्याओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी (तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात सरकार) के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करने वाली जकिया जाफरी की याचिका शीर्ष अदालत (सीजेआई के अलावा किसी अन्य पीठ) के समक्ष लंबित थी। जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। न्यायमूर्ति अकिल कुरैशी मामला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति अकिल कुरैशी को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने की सिफारिश 10 मई, 2019 को की थी। केंद्र द्वारा 10 मई के बाद न्यायिक नियुक्तियों की 18 फाइलों को मंजूरी दी गई (हालाँकि न्यायमूर्ति अकिल कुरैशी की फाइल को मंजूरी नहीं मिली)। 27 अगस्त को केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को अपना जवाब भेजा। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति अकिल कुरैशी को प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने में असमर्थता जताई थी। फिर सितम्बर, 2019 में एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति अकील कुरैशी के नाम की सिफारिश करदी और अंततः नवम्बर, 2019 में केंद्र की अधिसूचना के बाद, उन्होंने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। वो क्या परिस्थितियां थीं जिनमे कॉलेजियम को अपना निर्णय बदलना पड़ा या साफ नहीं पर यह जरुर तय है कि इस निर्णय को बदलने के काफी गंभीर एवं दूरगामी संकेत एवं परिणाम हैं। इससे न्यायपालि. का का कार्यपालिका के समक्ष झुकना सबके सामने साफ तौर पर दिखा वो भी बिना किसी कारण के, जबकि ऐसी परिस्थिति में, जबकि कॉलेजियम, कार्यपालिका के निर्णय के बाद अपना निर्णय बदल रहा था, कॉलेजियम को अपने निर्णय को बदलने का कारण देना चाहिए था रंजन गोगोई के नामित होने से मेरी असहमति हाल ही में पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने असमिया न्यूज एजेंसी पार्टिडिन से बात करते हुए यह कहा कि मैंने इस दृढ़ विश्वास के कारण राज्यसभा में नामांकन की पेशकश को स्वीकार किया है कि विधायिका और न्यायपालि. का को इस समय एक साथ काम करना चाहिए। (संभवतः) अपने बचाव में बोलते हुए जस्टिस गोगोई ने कहा, संसद में मेरी उपस्थिति विधायिका के समक्ष न्यायपालिका के विचारा. को प्रस्तुत करने का एक अवसर होगी।(साभार : इंटरनेट)

कब्जा किए गए घर या जमीन को आप बिना कोर्ट जाए खाली करा सकते हैं

अगर आपके घर या जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है, तो आप बिना कोर्ट जाए इसको खाली करा सकते हैं. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. पूनाराम बनाम मोती राम के मामले में फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई व्यक्ति दूसरे की संपत्ति पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा नहीं कर सकता है. अगर कोई किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में ऐसे कब्जा कर लेता है, तो पीड़ित पक्ष बलपूर्वक खुद ही कब्जा खाली करा सकता है. हालांकि इसके लिए जरूरी है कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हों और वह आपके नाम हो यानी उस प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास हो. पूना राम बनाम मोती राम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है, तो आप 12 साल बाद भी बलपूर्वक अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा खाली करा सकते हैं. इसके लिए कोर्ट में मुकदमा दायर करने की जरूरत नहीं है. हां अगर प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास नहीं और कब्जा को 12 साल हो चुके हैं, तो आपको कोर्ट में केस करना होगा. ऐसे मामलों की कानूनी कार्यवाही के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 (Specific Relief Act 1963) बनाया गया है. प्रॉपर्टी से गैर कानूनी कब्जा खाली कराने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के तहत प्रावधान किया गया है. हालांकि प्रॉपर्टी के विवाद में सबसे पहले स्टे ले लेना चाहिए, ताकि कब्जा करने वाला व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर निर्माण न करा सके और न ही उसको बेच सके।(डेस्क)

पश्चिम बंगाल : क्या ममता अपने राजनीतिक करियर के सबसे मुश्किल दौर में हैं?

मनोज भाटी

क्या 'बंगाल की शेरनी' के नाम से मशहूर तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने राजनीतिक करियर के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं?

यूं तो ममता का पूरा करियर ही चुनौतियों और संघर्ष से भरा रहा है। लेकिन अब अगले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी की ओर से मिलने वाली चुनौतियों और पार्टी में लगातार तेज होती बगावत को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक हलकों में यह सवाल पूछा जाने लगा है।

हाल तक सरकार और पार्टी में जिस नेता की बात पत्थर की लकीर साबित होती रही हो, उसके ख़िलाफ़ जब दर्जनों नेता आवाज़ उठाने लगे हों तो ऐसे सवाल उठना लाजिमी है। यह बात दीगर है कि कांग्रेस की अंदरूनी चुनौतियों से जूझते हुए अलग पार्टी बना कर लेफ्ट से दो–दो हाथ कर चुकीं ममता इन चुनौतियों से घबरा कर पीछे हटने की बजाय इनसे निपटने की रणनीति बनाने में जुट गई हैं। वर्ष 2006 के विधानसभा चुनावों के समय से यानी बीते करीब पंद्रह वर्षों से तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी एक–दूसरे के पर्याय बन गए थे। पार्टी में किसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके किसी फैसले पर अंगुली उठा सके. लेकिन अब बीते तीन–चार वर्षों में उनकी पकड़ कुछ कमजोर हुई है। लगभग दस साल तक सत्ता में रहने के बाद नेताओं में कुछ असंतोष और नारा. जगी तो जायज है। लेकिन बीजेपी ने खासकर बीते लोकसभा चुनावों से जिस तरह आक्रामक रुख अपनाया है और पार्टी के नेताओं को अपने पाले में खींच रही है, वह ममता के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद ममता ने चुनावी रणनी. तिकार प्रशांत किशोर की सेवाएँ ली थीं. लेकिन उनका ये पासा भी अब तक उल्टा ही पड़ता नजर आ रहा है। दवा के तौर पर आए प्रशांत पार्टी के लिए मर्ज बनते जा रहे हैं. ऐसा लगता है कि कई नेताओं के पार्टी छोड़ने और पार्टी के भीतर फैलते असंतोष के पीछे मूल कारण प्रशांत किशोर ही बन गए हैं. लेकिन बावजूद इसके ममता का भरोसा उन पर जस का तस है। प्रशांत ने ममता और उनकी सरकार की छवि चमकाने के लिए कई रणनीति तैयार की. उसी के तहत बीते साल 'दीदी के बोलो' नामक अभियान शुरू किया गया जिसके तहत कोई भी नागरिक सीधे फोन पर अपनी समस्या बता सकता था। उसके अलावा विभिन्न सरकारी योजनाओं में कट मनी लेने वाले नेताओं पर कार्रवाई की गई। इसके जरिए यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि कुछ नेता पार्टी और सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। प्रशांत की सलाह पर ही संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल किए गए और दागी छवि वाले नेताओं को दरकिनार कर नए चेहरों को सामने ले आया गया।

साल 2020 : जिसने दुनिया को कह दिया अलविदा

साल 2020 में राजनीतिक जगत से लेकर सिनेमा और अन्य क्षेत्र की कई नामचीन हस्तियों का निधन हो गया. कुछ का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया तो कुछ को कोरोना वायरस ने हमसे छीन लिया. एक उभरते सितारे ने खुदकुशी भी कर ली। 2020 कई बड़ी हस्तियों की दुरूखद मौत का स्याह गवाह रहा है. कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से सियासी जगत से लेकर मनोरंजन जगत की कुछ हस्तियों का निधन हो गया तो कुछ ने लंबी बीमारी के बाद दुनिया को अलविदा कह दिया।

देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 84 साल की उम्र में 31 अगस्त, 2020 को हो गया. बाथरूम में गिरने से उन्हें ब्रेन इन्ज्यूरी हो गई थी. इसके बाद उन्हें दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 21 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद उन्होंने 31 अगस्त 2020 को दम तोड़ दिया. उन्होंने राजनीति में काफी ऊंचा मुकाम बनाया लेकिन देश का प्रधानमंत्री न बन पाने की कसक उन्हें ताउम्र सालती रही. उनका जीवन विवादों से परे रहकर राजनीति में काम करने का एक अनुपम उदाहरण रहा है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में खाद्य, उपभोक्ता एवं संरक्षण मामलों के मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक नेता रामविलास पासवान का निधन 8 अक्टूबर, 2020 को हो गया. देश के बड़े दलित नेताओं में शुमार पासवान 74 साल के थे. 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले के शाहरबन्नी गांव के एक दलित परिवार में जन्मे रामविलास पासवान की गिनती बिहार ही नहीं, देश के कद्दावर नेताओं में की जाती थी. जेपी के दौर में वे भारतीय राजनीति में उभरे. उन्होंने 1977 के आम चुनावों में सर्वाधिक मतों (4.25 लाख वोट) से जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. उन्होंने 1989 में अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर 5.05 लाख वोट से जीतने का नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कोषाध्यक्ष अहमद पटेल का 25 नवंबर, 2020 को निधन हो गया. करीब चार दशक का राजनीतिक जीवन जीने वाले अहमद पटेल कांग्रेस के शर्मीले नेता के तौर पर जाने जाते थे. साल 2017 में जब गुजरात में राज्य सभा का चुनाव हो रहा था, तब उन्हें हराने के लिए अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने उनके खिलाफ जबर्दस्त किलेबंदी की थी, बावजूद इसके उन्होंने जीत दर्ज की थी. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के वे काफी करीब रहे. सोनिया गांधी के तो वो राजनीतिक सलाहकार थे. मधुर वाणी, मिलनसार और आतिथ्य सत्कार के उस्ताद अहमद पटेल को न चाहते हुए भी राहुल गांधी ने पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाया था.अहमद पटेल कांग्रेस के संकटमोचकों में सबसे प्रमुख थे. वह 1993 से लगातार राज्यसभा के सदस्य थे।

भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेताओं में शामिल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का 27 सितंबर, 2020 को निधन हो गया. सिंह 82 साल के थे. उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हनुमान कहा जाता था. वाजपेयी सरकार में वो वित्त, विदेश और रक्षा मंत्री रहे थे. भारत–पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधारने से लेकर 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद पूरी दुनिया से भारत के रिश्तों को मजबूत करने तक के अपने सियासी सफर में जसवंत सिंह ने कई मील के पत्थर साबित किए. हालांकि, भारत–पाकिस्तान–बांग्लादेश के बीच शांति स्थापना का उनका सपना अधूरा रह गया. उनका मानना था कि ये तीनों देश एक ही मां की सिजेरियन प्रसव से पैदा हुई संतानें हैं, जिनके बीच आपसी रिश्ते बेहतर होने चाहिए. 2001 में जब संसद पर हमले हुए थे, तब सभी राजनीतिक पार्टियां पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई देने का दबाव बना रही थी, सेना पर सैनिकों की तैनाती भी हो चुकी थी लेकिन जसवंत सिंह ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर ऐसा होने से रुकवा दिया था।

बीजेपी के राज्यसभा सदस्य और समा. जवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह का निधन 1 अगस्त, 2020 को सिंगापुर के एक अस्पताल में हो गया था. उन्हें भारतीय राजनीति का मिडिल मैन से लेकर मिडिएटर तक कहा जाता था. इसी साल मार्च में भी उनके निधन की खबर उड़ी थी जिसका उन्होंने खुद खंडन किया था. मुलायम सिंह यादव और अमिताभ बच्चन के परिवार के काफी करीब रहे अमर सिंह का जीवन काफी उतार–चढ़ाव भरा रहा है. वो एक ऐसे नेता थे जिनके विपक्षी दलों के बड़े नेताओं से भी मधुर रिश्ते होते थे. वो दोस्त बनाने और उसे निभाने के उस्ताद थे. उनके दोस्त सियासत की दुनिया से लेकर मनोरंजन, खेल, बिजनेस जगत तक सभी जगह थे. यहां तक की उनकी दोस्ती का असर वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस तक था. तभी तो उन्होंने बिल क्लिंटन को मुलायम सिंह यादव से मिलवाने लखनऊ बुलवा लिया था. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेन्स में खुले आम कहा था कि ष्हां, वो मुलायम सिंह के दलाल हैं। (एजेंसी)

जब तक कोई काम पूरा नहीं हो पाता है. तब तक वह हमेशा असंभव सा लगता है।

जब 1971 में भारत को डराने के लिए अमेरिका ने अपना नौसैनिक बेड़ा भेजा

12 दिसंबर, 1971 को जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का बैठक फिर बुलाई गई तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और संयुक्त राष्ट्र में अमरीका के प्रतिनिधि जॉर्ज बुश सीनियर का मुक़ाबला करने के लिए विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह को भेजा।

स्वर्ण सिंह ने पाकिस्तान पर कटाक्ष करते हुए कहा, क्या श्री भुट्टो अब भी भारत पर जीत हासिल करने और दिल्ली पहुंचने का सपना देख रहे हैं?

गैरी बैस अपनी किताब 'द ब्लड टैलिग्राम' में लिखते हैं, 'जब बुश ने निक्सन और किसिंजर के निर्देश पर लड़ाई में भारत की मंशा के बारे में सवाल किया तो स्वर्ण सिंह ने उलटा उन्हीं से सवाल पूछ डाला कि वियतनाम में अमे. रिका की क्या मंशा है?'

सोवियत संघ ने तीसरी और आखिरी बार सुरक्षा परिषद के युद्धविराम के प्रस्ताव पर वीटो कर भारत को बचाया. इससे किंसिंजर इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने निक्सन से बिना पूछे अगले कुछ दिनों में सोवियत संघ के साथ होने वाली शिखर वार्ता को रद्द करने की धमकी दे डाली।

इस बीच जब भारत, पाकिस्तान और अमेरिका के राजनयिक एक दूसरे की बेइज़्ज़ती करने पर उतारू थे,निक्सन और किसिंजर ने तय किया कि वो पूर्वी पाकिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित निकालने के बहाने से अमेरिकी बेड़े यूएसएस एंटरप्राइज़ को तुरंत बंगाल की खाड़ी की तरफ़ भेंजेंगे।

दिलचस्प बात ये थी कि एक दिन पहले ही सभी अमेरिकी नागरिकों को ढाका से निकाला जा चुका था. अमेरिकी विदेश मंत्रालय के डीक्लासीफ़ाई हुए टेपों में कहा गया है कि 'किसिंजर ने भुट्टो को सूचित किया कि अमेरिकी युद्धपोत जल्द ही मलक्का की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेंगे. निक्सन ने ये भी ज़ोर दे कर कहा कि वो तब तक भारत की तरफ बढ़ते चले जाएंगे जब तक भारतीय सैनिकों की वापसी के बारे में कोई सहमति नहीं बन जाती।

परमाणु शक्ति से चालित अमेरिका के सातवाँ बेड़े एंटरप्राइज़ में सात विध्वंसक, एक हैलिकॉप्टर वाहक यूएसएस ट्रिपोली और एक तेलवाहक पोत शामिल था। इसकी कमान एडमिरल जॉन मेकेन जूनियर के हाथों में थी जिनके बेटे जॉन मेकेन तृतीय बाद में अरीज़ोना के सिनेटर और 2008 में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बने।

'ब्लड टेलिग्राम' के लेखक गैरी बास लिखते है कि 'भारत के नौसैनिक बेड़े की तुलना में अमेरिकी बेड़ा कहीं बड़ा था. एंटरप्राइज़ ने मिसाइल संकट के दौरान क्यूबा की घेराबंदी की थी. वो भारत के एकमात्र विमानवाहक आइएनएस विक्रांत की तुलना में कम से कम पाँच गुना बड़ा था. यहाँ तक कि एंटरप्राइज़ के बेड़े में शामिल एक पोत ट्रिपोली भी विक्रांत से बड़ा था. परमाणु ऊर्जा से संचालित एंटरप्राइज़ बिना दोबारा ईंधन भरे पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता था. दूसरी तरफ़ विक्रांत के बॉयलर भी ढ़ंग से काम नहीं कर रहे थे.'दूसरी तरफ़ अमेरिका के इस कदम पर सोवियत संघ भी चुप नहीं बैठा था।

एडमिरल एसएम नंदा अपनी आत्मकथा 'द मैन हू बॉम्ब्ड कराची' में लिखते हैं, 'दिसंबर के पहले हफ़्ते में ही सोवियत संघ का एक विध्वंसक और माइन्सस्वीपर मलक्का की खाड़ी से इस इलाके में पहुंच चुका था. सोवियत बेड़ा तब तक अमेरिकी बेड़े के पीछे लगा रहा जब तक वो जनवरी, 1972 के पहले सप्ताह में वहाँ से चला नहीं गया. बाद में एंटरप्राइज़ के कप्तान एडमिरल ज़ुमवाल्ट नवंबर, 1989 में युनाएटेड सर्विस इंस्टीट्यूट में भाषण देने आए थे. जब उनसे पूछा गया कि 1971 में सातवें बेड़े को हिंद महासागर में भेजने का क्या उद्देश्य था तो उन्होंने जवाब दिया था कि उन्हें ये स्पष्ट नहीं किया गया था कि उनका मिशन क्या था, सिवाए इसके कि शायद अमेरिका दुनिया को दिखाना चाहता था कि हम अपने दोस्तों की मुस. ीबत के समय सहायता करने से पीछे नहीं हटते. एडमिरल ज़ुमवाल्ट ने किसिंजर से पूछा भी था कि अगर उनका सामना भारतीय नौसेना के किसी पोत से हो जाए तो उन्हें क्या करना होगा. उसपर किसिंजर का जवाब था कि ये आपको तय करना है।'

एडमिरल ज़ुमवाल्ट के भाषण के बाद एडमिरल नंदा ने उन्हें अपने घर ड्रिंक्स पर आमंत्रित किया. वहाँ पर ज़ुमवाल्ट ने उनसे पूछा कि जब आपको हमारे बंगाल की खाड़ी में आने की ख़बर मिली तो आपने इसे किस तरह से लिया?

एडमिरल नंदा अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, 'मैंने ज़ुमवाल्ट को बताया कि जैसे ही ये ख़बर फैली मेरी प्रधानमंत्री ने मुझे बुलवा भेजा और मुझसे पूछा कि नौसेना इस बारे में क्या करने जा रही है ? मैंने जवाब दिया क्या आप सोचती हैं कि अमेरिका भारत के साथ युद्ध का ऐलान करेगा ? उन्होंने फिर पूछा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ? मैंने जवाब दिया अगर वो हमारे पोतों पर हमला करते हैं तो ये युद्ध की कार्रवाई होगी. उन्होंने फिर पूछा आपकी समझ में इससे कैसे निपटा जाना चाहिए ? मैंने कहा मैडम वो हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे रहे हैं. हमें दृढ़ रहना चाहिए. मैं अपने पोतों के कप्तानों को आदेश दे रहा हूँ कि अगर उनका सामना किसी अमेरिकी पोत से हो तो वो परिचय का आदान–प्रदान करें और उनके कप्तान को अपने पोत पर ड्रिंक के लिए आमंत्रित करें. ये सुनकर वो हंस दीं. मैंने अपने डिप्टी एडमिरल कृष्णन को ये निर्देश दे दिए कि मेरा ये संदेश सभी कप्तानों तक पहुंचा दिया जाए. इस बीच सोवियत संघ अपनी सेटेलाइट्स से अमे. रिकी पोत के मूवमेंट पर नज़र रखे हुए था और हमें इसकी पूरी जानकारी दे रहा था।' इंदिरा गांधी के साथ एडमिरल एसएम नंदा अमेरिका का भारतीय नौसेना से उलझने का इरादा नहीं था। इसी गहमागहमी के बीच इंदिरा गाँधी ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. जब इंदिरा गाँधी का भाषण चल रहा था तो भारतीय वायुसेना के विमान सभास्थल के ऊपर मंडरा रहे थे ताकि पाकिस्तान को कोई विमान उस जनसभा को अपना निशाना न बना दे. उस सभा में इंदिरा गाँधी ने अमे. रिका और चीन का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ बाहरी ताकतें हमें धमकाने की कोशिश कर रही हैं जिसका मुँहतोड़ जवाब दिया जाएगा। (साभार : बीबीसी)

कैसे मजहबी स्वतंत्रता के नाम पर चल रहा है आर्थिक युद्ध

धर्म अथवा पंथ जब तक मानव के व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा बनने तक सीमित रहे, वो उसकी आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बन कर उसमें एक सकारात्मक शक्ति का संचार करता है। लेकिन जब वो मानव के व्यक्तिगत जीवन के दायरे से बाहर निकल कर समाज के सामूहिक आचरण का माध्यम बन जाता है तो वो समाज में एक सामूहिक शक्ति का संचार करता है। लेकिन यह कहना कठिन होता है कि समाज की यह सामूहिक शक्ति उस समाज को सकारात्मकता की ओर ले जाएगी या फिर नकारात्मकता की ओर। शायद इसीलिए कार्ल मार्क्स ने धर्म को जनता की अफीम कहा था।

दरसअल पिछले कुछ समय से मजहबी मान्यताओं के आधार पर विभिन्न उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में है। हाल ही में यूरोपीय महाद्वीप के देश बेल्जियम में हलाल मीट और कोशर मीट पर एक अदालती फैसला आया है। पशु अधिकारों को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय संघ की अदालत ने बिना बेहोश किए जानवरों को मारे जाने पर लगी रोक को बरकरार रखा है। इसका मतलब यह है कि बेल्जियम में किसी भी जानवर को मारने से पहले उसे बेहोश करना होगा ताकि उसे कष्ट ना हो। यूरोपीय संघ की अदालत के इस फैसले ने यूरोपीय संघ के अन्य देशों में भी इस प्रकार के कानून बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। मजहबी स्वतंत्रता के नाम पर बेल्जियम के मुसलमान और यहूदी संगठन इस कानून का विरोध कर रहे हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो यह चर्चा में इसलिए है कि अप्रैल 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कोविड महामारी के मद्देनजर हलाल मीट पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अदालत लोगों की भोजन करने की आदतों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसी से संबंधित ताजा मामला दक्षिण दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आने वाले होटलों के लिए लागू किए गए एक नियम का है जिसमें दिल्ली के ऐसे होटल या मीट की दुकान जो दक्षिण दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आते हैं, उन्हें अब हलाल या झटका का बोर्ड दुकान के बाहर लगाना अनिवार्य होगा। दरसअल एसडीएमसी की सिविक बॉडी की स्टैंडिंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें लिखा है कि हिन्दू और सिख के लिए हलाल मीट खाना वर्जित है। इससे पहले क्रिसमस के दौरान केरल के ईसाइयों ने भी हलाल मांस के विरोध में प्रदर्शन किया था। इस मामले में क्रिश्चियन असोसिएशन ऑफ चर्च के ऑक्सीलरी फॉर सोशल एक्शन ने ईसाइयों से एक अपील भी की थी जिसमें हलाल मांस को उनके धार्मिक लोकाचार के खिलाफ होने के कारण इन्हें खाद्य पदार्थों के रूप में खरीदने से मना किया गया था।

मजहब के नाम पर जिस हलाल पर विश्व भर में हायतौबा मची हुई है पहले थोड़ा उसे समझ लेते हैं।

हलाल दरसअल एक अरबी शब्द है जिसका उपयोग कुरान में भोजन के रूप में स्वीकार करने योग्य वस्तुओं के लिए किया गया है। इस्लाम में आहार संबंधी कुछ नियम बताए गए हैं जिन्हें हलाल कहा जाता है। लेकिन इसका संबंध मुख्य रूप से मांसाहार से है। जिस पशु को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है उसके वध की प्रक्रिया विशेष रूप से बताई गई है। इसी के चलते मुस्लिम देशों में सरकारें ही हलाल का सर्टिफिकेट देती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो मीट वहाँ परोसा जा रहा है वो उनकी मजहबी मान्यताओं के अनुरूप है।

हमारे देश में भी भारतीय रेल और विमानन सेवाएँ जैसे प्रतिष्ठानों से लेकर फाइव स्टार होटल तक हलाल सर्टिफिकेट हासिल करते हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि जो मांस परोसा जा रहा है वो हलाल है। मैकडोनाल्ड डोमिनोज, जोमाटो जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां तक इसी सर्टिफिकेट के साथ काम करती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में यह सर्टिफिकेट सरकार द्वारा नहीं दिया जाता। दरसअल भारत में अलग–अलग वस्तुओं के लिए अलग–अलग सर्टिफिकेट का प्रावधान है जो उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। जैसे औद्योगिक वस्तुओं के लिए ᐡ मार्क, कृषि उत्पादों के लिए एगमार्क, प्रॉसेस्ड फल उत्पाद जैसे जैम अचार के लिए एफपीओ, सोने के लिए हॉलमार्क, आदि। लेकिन हलाल का सर्टिफिकेट भारत सरकार नहीं देती है। भारत में यह सर्टिफिकेट कुछ प्राइवेट संस्थान जैसे हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमायत उलमा ए हिन्द हलाल ट्रस्ट आदि। अभी तक देश से निर्यात होने वाले डिब्बाबंद मांस के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण को हलाल प्रमाणपत्र देना पड़ता था क्योंकि दुनिया के अधिकांश मुस्लिम देश हलाल मांसाहार ही आयात करते हैं। लेकिन यह बात जितनी साधारण दिखाई दे रही है उससे कहीं अधिक पेचीदा है। क्योंकि तथ्य यह बताते हैं कि जो बात मजहबी मान्यताओं के अनुसार पशु वध के तरीके (हलाल) से शुरू हुई थी अब वो दवाईयों से लेकर सौंदर्य उत्पाद जैसे लिपस्टिक और शैम्पू, अस्पतालों से लेकर फाइव स्टार होटल, रियल एस्टेट से लेकर हलाल टूरिज्म और तो और आटा, मैदा, बेसन जैसे शाकाहारी उत्पादों तक के हलाल सर्टिफिकेशन पर पहुँच गई है। आयुर्वेदिक औषधियों के लिए भी हलाल सर्टिफिकेट! ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी कंपनी अपना सामान मुस्लिम देशों को निर्यात करती हैं उन्हें इन देशों को यह सर्टिफिकेट दिखाना आवश्यक होता है। अगर हलाल फूड मार्किट के आंकड़ों की बात करें तो यह वैश्विक स्तर पर 19: की है जिसकी कीमत लगभग 2.5 ट्रिलियन + की बैठती है। आज मुस्लिम देशों में हलाल सर्टिफिकेट उनकी जीवनशैली से जुड़ गया है। वे उस उत्पाद को नहीं खरीदते जिस पर हलाल सर्टिफिकेट नहीं हो। हलाल सर्टिफिकेट वाले अस्पताल में इलाज, हलाल सर्टिफिकेट वाले कॉम्प्लेक्स में फ्लैट और हलाल टूरिज्म पैकेज देने वाली एजेंसी से यात्रा। यहाँ तक कि हलाल की मिंगल जैसी डेटिंग वेबसाइट। (साभार : इंटरनेट)

बृहस्पति और शनि की चार सौ साल बाद हुई मुलाकात

सौर मंडल के दो ग्रह बृहस्पति और शनि चार सौ साल बाद इतने करीब आए कि दोनों के बीच की दूरी महज 0.1 डिग्री रह गई।

वैज्ञानिकों के मुताबिक इन्हें नंगी आँखों से भी देखा जा सकता है और दूरबीन या टेलीस्कोप से भी.

ये खगोलीय घटना 17 जुलाई 1623 के बाद हो रही है.

इसके बाद ये नजारा 15 मार्च 2080 को दिखाई देगा. इसके अलावा आज साल का सबसे छोटा दिन है.

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कहना है कि हमारे सौरमंडल में दो बड़े ग्रहों का नजदीक आना दुर्लभ नहीं है.

यूँ तो बृहस्पति ग्रह अपने पड़ोसी शनि ग्रह के पास से हर 20 साल पर गुजरता है, लेकिन इसका इतने नजदीक आना ख़ास है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि दोना.ें ग्रहों के बीच उनके नज़रिए से सिर्फ 0.1 डिग्री की दूरी रह जाएगी, हालाँकि तब भी ये दूरी करोड़ों किलोमीटर की होगी.

यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैम्ब्रिज के इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी में डॉक्टर क्रोफॉर्ड ने बीबीसी को बताया, "मौसम बहुत अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए ये एक क़ीमती मौका है."

अगर मौसम की स्थिति अनुकूल रहती है तो ये आसानी से सूर्यास्त के बाद दुनिया भर में देखा जा सकता है.

कहाँ और कब दिखेगा

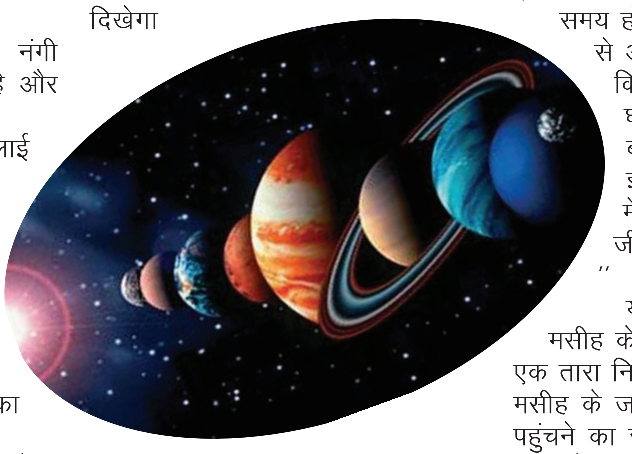

इस घटना का सबसे बेहतरीन नज़ारा सोमवार रात को ब्रिटेन के उत्तरी हिस्से में देखने को मिलेगा क्योंकि वहां आसमान साफ होगा.

ये नज़ारा दक्षिणी इलाक़ों में उतना साफ नहीं दिखाई देगा क्योंकि आसमान में ज़्यादातर बादल छाए रहेंगे.

ग्रहों के खगोलविद डॉक्टर जेम्स ओडोनोह्यू ने ट्वीट करके बताया कि कहां पर और कितने बजे आसमान में बृहस्पति और शनि सबसे नज़दीक होंगे.

क्या ये बेथलेहम का तारा है?

कुछ खगोलशास्त्रियों और धर्मशास्त्रियों का ऐसा ही मानना है.

वर्जिनिया में फेरम कॉलेज में धर्म के प्रोफेसर एरिक एम वैंडेन ईकल ने एक लेख में कहा है कि ये घटना जिस समय हो रही है उसके कारण बहुत से अनुमान लगाए जा सकते हैं कि ''क्या ये वही खगोलीय घटना हो सकती है जैसा कि बाइबल में है, जो घटना ज्ञानी व्यक्तियों को जोसफ, मेरी और नवजात शिशु जीसस के पास लेकर गई थी.''

यह कहा जाता है कि ईसा मसीह के जन्म के समय आसमान में एक तारा निकला जिसने लोगों को ईसा मसीह के जन्म की सूचना दी और वहां पहुंचने का रास्ता दिखाया. इसे देखकर पूरब से तीन बुद्धिमान राजा भी उनको भेंट देने, उनका सम्मान करने बेथलेहम पहुंचे। इसे बेथलेहम का तारा या क्रिसमस तारा भी कहा जाता है. इसे एक दैवीय घटना की तरह बताया जाता है। डॉक्टर क्रोफॉर्ड कहते हैं, ''दो हज़ार साल पहले लोग इस बारे में बहुत कुछ जानते थे कि रात में आकाश में क्या हो रहा है, तो यह असंभव नहीं है कि बेथलेहम का तारा इस तरह दो ग्रहों के पास आने की घटना जैसा हो.''

सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रहों का एक–दूसरे के नज़दीक आना दुर्लभ घटना नहीं है लेकिन ये घटना कुछ खास है। (साभार : इंटरनेट)

'गंदी बात' से भी गंदा है 'पौरुषपुर', महिलाओं को समझा जाता है बिस्तर का खिलौना

भारतीय सिनेमा की एक खास बात ये भी हैं कि यहां पर सेक्स सीन दिखा कर दर्शकों के सामने कुछ भी परोसने की फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के अंदर हिम्मत है। देखने वाले इन कंटेंट को देखते भी हैं क्योंकि भारत में अभी भी पॉर्न साइट बैन है ना! कमुक सीन और फैंटसी की दुनिया के एक अलग लेवल में जाकर वेब सीरीज बनायी गयी है श्पौरुषपुरश, जिसे ऑल्ट बालाजी और जी5 पर रिलीज किया गया है। सीरीज की कहानी पुराने जमाने की है लेकिन शौख मॉर्डन है। पौरुषपुर में महिलाओं के उपर होने वाले अत्याचारा. ` को दिखाने की कोशिश हुई है। महिलाओं पर पुरुष इतना अत्याचार करते थे कि उनकी गैर मौजूदगी में महिलाओं को हमेशा अपने प्राइवेट पार्ट पर ताला लगाकर रखना होता था जिसकी चाभी उन्हीं के पास होती थी। वह जब चाहें अपने ताले को खोल सकती है। इसके अलावा कई बिना सिर–पैर की बातों को दिखाने की कोशिश हुई हैं।

पौरुषपुर की कहानी शुरू होती है एक कमुक सीन से... जिसमें एक महिला किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और फिर लाल लिबास में लिपटी महिलाएं आती है और उस महिला को पौरुषपुर ले जाती है जहां उसके रिश्तेदार द्वारा उसकी बली दी जाती है। पौरुषपुर के साम्राज्य में महिलाओं के लिए ये एक नियम था, पुरुष चाहें तो कितनी भी शादियां कर सकते थे।

इसके बाद शुरू होती है कहानी पौरुषपुर का राजा भद्र प्रताप (अन्नू कपूर) बुढ़ापे की दहलीज पार कर चुके हैं लेकिन उनके अंदर की काम वासना उन्हें मुक्त नहीं होने दे रही। भद्र प्रताप की हर ख्वाहिश को पूरा करने की जिम्मेदारी महारानी मीरावती (शिल्पा शिंदे) पर है। भद्र की पत्नी होने के बावजूद वह भद्र प्रताप के लिए रानियां लाती है। अब तक भद्र न जाने कितनी शादियां कर चुके हैं, जिसका कोई अनुमान नहीं है। पिछले कुछ सालों से भद्र की जिंदगी में ऐसा होता है कि सुहागरात के बाद उनकी रानी गायब हो जाती है जिसके बाद वह फिर नयी शादी की जिद करता है। इन गायब रानियों को कोई खोजने की भी कोशिश नहीं करता है। मीरावती को नयी रानी खोजने का आदेश दिया जाता है। तब मीरावती एक षड्यंत्र रचती है और अपने बेटे की गर्फफ्रेंड से राजा की धोखे से शादी करवा देती हैं। इस बार सुहागरात को केवल महल की रानी ही नहीं गायब होती साथ में मीरावती और राजा भद्र का बेटा भी गायब हो जाता है। यहीं से कहानी लेती है नया मोड़ और कई राज भी खुलते है।

मीरावती के दो बच्चे है पहला बेटा गै हैं और दूसरा महल की एक दासी के प्यार में पड़ा है। मीरावती ने वंश बढ़ाने के लिए अपने गै बेटे की शादी एक औरत से करवा रखी है जो खुद एक लेस्बियन है। महिला–पुरुष, गै, लेस्बियन, किन्नर और कमुकता पर गढ़ी गयी है पौरुषपुर की कहानी।

सीरीज के बारे में पहले ही बताया कि एक बर्बाद कहानी को बोल्ड सीन के साथ दर्शकों के सामने परोसा गया है। पूरी सीरीज को देखकर लगता है कि क्या दुनिया में महिला–पुरुष के बीच एक सेक्स के रिश्ते के अलावा कोई और रिश्ता नहीं है। सीरीज के हर किरदार की पहली जरुरत केवल वासना है। (एजेंसी)

सभी जनपद व क्षेत्र वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाऐं।
सभी किसान भाईयों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनायें
शमीम सिद्दीकी
जिलाध्यक्ष
कन्नौज
डा० कुसुम चौहान
महिला मोर्चा
जिलाध्यक्ष
धर्मेन्द्र कुमार सिंह
(बबलू)
जिला सचिव
मारुफ खान
जिला कोषाध्यक्ष
जगमोहन त्रिपाठी
तहसील अध्यक्ष
डा० साजिद हुसैन
जिला सचिव
मो० मतीन
ब्लाक अध्यक्ष
भारतीय किसान यूनियन टिकैत-कन्नौज
गणतंत्र दिवस हार्दिक शुभकामनाऐं
कोची यादव
जिला उपाध्यक्ष छात्र सभा-कन्नौज
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाऐं
सतीश चन्द्र गुप्ता
नगर अध्यक्ष
समाजवादी पार्टी
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनायें
सेठ अशोक गुप्ता
प्रमुख समाजसेवी
अरुण गुप्ता
युवा समाजसेवी
ए.के. ईट भट्टा
तिर्वा रोड, बनियानी
कन्नौज
मयंक गुप्ता
अध्यक्ष/भाजपा नेता
दक्षिणी सहकारी समिति-गुरसहायगंज
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनायें
दीपक गुप्ता
नगर अध्यक्ष
भारतीय जनता युवा मोर्चा
गणतंत्र दिवस हार्दिक शुभकामनायें
संजीव दुबे मुन्ना
नगर अध्यक्ष
कांग्रेस कमेटी-गुरसहायगंज
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनायें
दीक्षित नेत्र चिकित्सालय
डा० सुधीर दीक्षित
नेत्र रोग विशेषज्ञ
डा० प्राची दीक्षित
महिला रोग विशेषज्ञ
गणतन्त्र दिवस
मो० नफीस
8859436006, 9454993786
सभी जनपद व क्षेत्र वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाऐं।
मरहूम हाजी मजहरुद्दीन सिद्दीकी
बुलबुल छाप बीड़ी
दिलपसन्द बीड़ी कं.
जसरी (फर्रुखाबाद)
संस्थापक
दिलपसन्द बीड़ी कम्पनी
जसरी फर्रुखाबाद
हेड आफिस-गांधी नगर
गुरसहायगंज-कन्नौज
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनायें
अमन हुसैन सिद्दीकी
प्रदेश महासचिव
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण उ०प्र०
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनायें
बदरूल सिद्दीकी
सपा नेता/सभासद
नगर पंचायत
समधन(कन्नौज)
सभी क्षेत्र वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाऐं
ए०एच० इस्लामिया एजूकेशन सेन्टर
एवं इंजीनियरिंग ग्रुप
अतुल हसन
समाजसेवी
अहमद हसन
मैनेजिंग डायरेक्टर
किदवई नगर गुरसहायगंज
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनायें
इशरत खान
जिलाध्यक्ष
ए.आई.एम.आई.एम
नगर पंचायत समधन के समस्त नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाऐं
नागरिकों से अपील
SWACHH SURVEKSHAN 2021
कोरोना से बचें
अपने नगर को नं० 1 बनाने के लिए एंड्रायड मोबाइल में SS2021 एप डाउनलोड करें।
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनायें
सैयद अहमद सुल्तान उर्फ सिन्नू
पूर्व चेयरमैन
सैयद अहमद उबैद
प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य
प्रतिष्ठान: अलकरमह मोटर्स
अलकरमह मैरिज हाल
गणतंत्र दिवस पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाऐं
मो० हासिम खाँ
राजू
सभासद
इस्माइलपुर, समधन
मीनू सिंह
अधिशाषी अधिकारी
सुरेश चन्द्र शाक्य
वरिष्ठ लिपिक
रुबीना बेगम
अध्यक्षा
समस्त सभासदगण नगर पंचायत समधन-कन्नौज
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनायें
बाबा हास्पिटल
फर्रुखाबाद रोड, रामगंज-गुरसहायगंज
9839391... 9839263733
24 घंटे उपलब्ध
नगर व क्षेत्र वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाऐं
सिद्धार्थ सर्जिकल
एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सेन्टर
कुशवाहा मार्केट तिर्वा रोड-गुरसहायगंज
दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के आपरेशन की सुविधा
डा० संगीता कुशवाहा
स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ
डा० सूर्यकान्त कुशवाहा
मैनेजिंग डायरेक्टर
नगर पालिका परिषद गुरसहायगंज के समस्त नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाऐं
नागरिकों से अपील
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021
मीनू सिंह
अधिशाषी अधिकारी
समस्त सभासदगण
नगर पालिका परिषद गुरसहायगंज
धीरेन्द्र कुमार आर्य
चेयरमैन

अटल जनशक्ति पार्टी द्वारा लखनऊ हाईकोर्ट में रंगारंग कार्यक्रम।

1–7 मंडावली विस के सक्रिय कांग्रेस नेता दीपक भारद्वाज द्वारा लोगों की सहायता करते हुए।

लोक जागृति पत्रिका का विमोचन करते पंजाब नेशनल बैंक के दिल्ली के डिप्टी जोनल हेड श्री एके अग्रवाल।

किसान आंदोलन के समर्थन में जंतर–मंतर पर अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औंजला के साथ दीपक भारद्वाज व सुरेश पांडेय।

RNI NO.UPHIN/2011/39809